अपने प्रस्ताव पर न्यायालय *वी.* कुलदीप सिंह289
(एस.एस. निज्जर, जे)

बिनोद कुमार रॉय से पहले, सी.जे. और एस.एस. निज्जर, जे

इसके खुद पर पाठ्यक्रम *गति — याचिकाकर्ता*

बनाम

KULDEEP *सिंह—उत्तरदाता*

C.O.C.P. नहीं। 2000 का 3

30 मई 2003

न्यायालय अधिनियम, 1971 — Ss का योगदान. 12 और 20 — संविधान भारत, 1950 — कला। 20 (2), 215 और 226 — समाज का एकीकरण धन — सोसायटी के सचिव ने राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी पाया - सचिव द्वारा चुनौती - उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया किसी भी आदेश के संचालन के बिना गति का — प्रक्षेप द्वारा जारी किए गए आदेश की प्रमाणित प्रति में "और दिए गए रहें" शब्दों की उच्च न्यायालय — उच्च न्यायालय ने बिना लागत के याचिका को खारिज कर दिया मामले की खूबियों में जाना और सचिव को दोषी ठहराना न्यायालय की अवमानना के लिए — जारी कार्यवाही — वेदर कला द्वारा वर्जित. 20 (2) — हेल्ड, नहीं — लागत के साथ रिट याचिका का बर्खास्तगी न्यायालय की अवमानना के लिए सजा के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता है — जारी आदेश के प्रक्षेप के बाद लगभग 2 साल की कार्यवाही — वेदर अनुभाग के तहत प्रदान की गई एक वर्ष की सीमा से परे 1971 के अधिनियम के 20 — हेल्ड, नहीं --- अवमानना की दीक्षा के लिए कोई बार नहीं कला के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही. 215 — जालसाजी या प्रक्षेप का प्रमाण — उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित नहीं रिट कार्यवाही में — केवल बिना शर्त माफी का टेंडरिंग तर्कों का अंत — सजा से बचने का सिर्फ एक बहाना —उच्च न्यायालय के एक आदेश का निर्माण न्यायालय की स्पष्ट अवमानना — सचिव के निंदनीय आचरण को माफ नहीं किया जा सकता है — वाक्य एक महीने के कठोर कारावास का आदेश दिया.

हेल्ड, अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियां प्रकृति में सारांश वाले संविधान का प्रयोग किया जाना चाहिए बहुत सावधानी और सावधानी. इन शक्तियों को बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाना है न्याय की धारा की

मासूमियत और पवित्रता. यह स्वयंसिद्ध है कि अधिक से अधिक शक्ति, व्यायाम में सावधानी अधिक से अधिक. इसलिए, हमने इन कार्यवाही के दौरान बहुत सतर्क दृष्टिकोण अपनाया है. हमने याचिकाकर्ता को परियोजना के लिए हर अवसर और स्वतंत्रता दी है उसका मामला. हम इस विचार के हैं कि कार्यवाही शुरू हुई

इस न्यायालय द्वारा धारा के तहत निर्धारित सीमा से वर्जित नहीं हैं अधिनियम के 20.

(पैरा 33)

आगे आयोजित, डिवीजन द्वारा पारित आदेश का एक अनुमान बेंच दिनांक 10 जनवरी, 2000 स्पष्ट रूप से दिखाती है कि यह विवादित नहीं था बेंच से पहले कि याचिकाकर्ता ने प्रमाणित को प्रक्षेपित किया था इस न्यायालय से प्राप्त आदेश की प्रति और शब्दों को जोड़ा "और इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया था, वास्तव में, पारित किया गया था इस न्यायालय द्वारा. पूर्वोक्त स्थिति को विवादित नहीं करने से पहले 10 जनवरी, 2000 को डिवीजन बेंच, दावेदार नहीं हो सकता यह कहने की अनुमति है कि जालसाजी या प्रक्षेप का कोई प्रमाण नहीं है.

(पैरा 34)

आगे आयोजित किया गया कि दावेदार के पास नियम के लिए बहुत कम संबंध हैं कानून का. उनके पास पारित आदेशों की पवित्रता के लिए भी कम संबंध है विभिन्न न्यायालयों में सक्षम अधिकारियों द्वारा. उसने टाल दिया है अपीलीय प्राधिकरण और संशोधन प्राधिकरण द्वारा पारित अध्यादेश इतनी बड़ी राशि के गबन के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया सहकारी समिति के गरीब सदस्यों से संबंधित धन. उसके पास है खुद को एक अंतरिम राहत दी जो द्वारा प्रदान नहीं की गई थी इस अदालत की डिवीजन बेंच. वह अधिकार जिसके समक्ष प्रक्षेपित किया गया आदेश का निर्माण उस अलाव विश्वास पर किया गया था जो आदेश था इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा पारित किया गया है. अधिकार पूरी तरह से निलंबन के आदेश को रद्द करके इस न्यायालय के आदेश का पालन किया दावेदार की. न्यायालय की घोर अवमानना करने के बाद इस न्यायालय को गुमराह करने के लिए अपने आचरण के साथ दावेदार बनी हुई है. भी शो कारण नोटिस के अपने उत्तर में, एक स्पष्ट दलील ली गई है आदेश उसके द्वारा प्रक्षेपित नहीं किया गया था. उसी समय, वह नहीं था 10 जनवरी, 2000 को डिवीजन बेंच के समक्ष विवाद आदेश उसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था. ऐसा निंदनीय आचरण बहाना नहीं किया जा सकता. इस न्यायालय द्वारा दिखाई गई कोई भी उदारता बहुत कुछ करेगी प्रशासन की शुद्धता बनाए रखने के कारण को अधिक नुकसान किसी भी बोधगम्य लाभ की तुलना में न्याय जो दावेदार को मिल सकता है. इसके अलावा, दावेदार द्वारा

दी गई माफी संतुष्ट नहीं करती है स्वीकृति के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंडों में से कोई भी माफी का. माफी संभव मंच पर नहीं आई है कार्यवाही का. यह बिना शर्त नहीं है. यह सिर्फ बचने का बहाना है सजा. किसी भी स्तर पर, दावेदार ने कोई पश्चाताप व्यक्त नहीं किया है

उसके निंदनीय व्यवहार पर. हलफनामे में भी, प्रार्थना है माफी को स्वीकार कर लिया जाए और दावेदार को इससे बाहर कर दिया जाए अवमानना. सुनवाई के दौरान, के लिए सीखा वकील दावेदार ने माफी के प्रस्ताव को केवल अंत में दिया तर्क. ऐसी स्थिति होने के नाते, हम संतुष्ट हैं कि यह नहीं है एक ऐसा मामला जहां दावेदार सजा देकर बच सकता है बिना शर्त माफी. इसलिए, माफी को दावेदार द्वारा निविदा दी गई खारिज कर दिया है.

(Paras42 और 43)

अनूपम गुप्ता, एडवोकेट, ***(एमिकस क्यूरीया*** पर ***की ओर से न्यायालय).***

के.एस. जेटली, एडवोकेट, ***दावेदार के लिए.***

JUDGEMENT

एस.एस. NIJJAR, जे. (ओरल) :

(१) दावेदार कुलदीप सिंह ने हामी भर दी **C.W.P.** 1998 की संख्या 210 निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ: —

(a)यह एक रिट जारी करता है ***certiorari*** थोपा हुआ 2 जनवरी, 1997 के आदेश प्रतिवादी द्वारा पारित किए गए नहीं. 7; अनुलग्नक पी -2 और दिनांक 23 मई, 1997 को पारित हुआ प्रतिवादी द्वारा नहीं. 2, अनुलग्नक पी -3; या

(b)एक उपयुक्त रिट, ऑर्डर या दिशा पास करने के लिए जो यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित हो सकता है.

(२) वह सौंडा सहकारी ऋण के पूर्व सचिव हैं और सर्विस सोसाइटी लिमिटेड (इसके बाद "सोसाइटी" के रूप में जाना जाता है). एक संदर्भ हरियाणा सहकारी समितियों के अनुभाग 102/103 के तहत बनाया गया था अधिनियम, 1984 (बाद में मध्यस्थता के लिए "अधिनियम" के रूप में जाना जाता है) डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने आरोप लगाया कि कुलदीप सिंह रुपये की राशि का गबन किया था. 1,31,800.97 पैसे. यह गबन वर्ष 1994-95 में ऑडिट के दौरान पता चला था. जैसा है सोसायटी के सचिव, दावेदार को सदस्यों से नकद प्राप्त हुआ था समाज का. उन्होंने सदस्यों की पास-पुस्तकों में प्रविष्टियाँ बनाई थीं जिन्हें बाद में

खातों की पुस्तकों में जमा नहीं किया गया था समाज. इस प्रकार, सोसायटी के संस्मरण से वंचित किया गया था

सोसायटी के पास जमा राशि का श्रेय. दावेदार दायर किया डिप्टी रजिस्ट्रार के समक्ष एक आवेदन जो अनुरोध करता है कि एक निखतर सिंह जो सोसायटी के साथ सेल्समैन के रूप में काम कर रहे थे निखटार सिंह के रूप में कार्यवाही में एक पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया गया था सोसायटी के सदस्यों से नकद प्राप्त कर रहा था और किया गया था खाते में केंद्रीय सहकारी बैंक में समान जमा करना समाज का. मध्यस्थ ने दावेदार की प्रार्थना स्वीकार की और impleaded. मध्यस्थता के लिए एक पार्टी के रूप में निखट्टर सिंह कार्यवाही. उनके पुरस्कार में मध्यस्थ ने निखतर सिंह को रखा, सेल्समैन-कम-क्लर्क रुपये की धुन के लिए उत्तरदायी. 61,576.97 पैसे. द क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था. 19,737.00 जो तुरंत था सोसायटी में उसके द्वारा जमा किया गया. निखटार सिंह और तीन अन्य अपील दायर की गई नं. कॉप। अतिरिक्त रजिस्ट्रार (क्रेडिट) से पहले 1996 का 176 सहकारी समितियों, हरियाणा, चंडीगढ़ ने आर्बिट्रेटर के पुरस्कार को इस आधार पर प्रसारित किया कि उनके पास निखतर सिंह को एक पार्टी के रूप में लागू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था. 2 जनवरी, 1997 को, अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने निखट्टार सिंह द्वारा दायर अपील की अनुमति दी निम्नलिखित अवलोकन: -

> "के लिए सीखा वकील की दलीलें सुनने के बाद प्रतिवादी के लिए अपीलकर्ता और सीखा वकील. 3, मैंने 16 दिसंबर को निर्णय आरक्षित रखा, 1996. अब मैं प्रतिवादी नं. 3 (कुलदीप सिंह) सौंडा क्रेडिट सोसाइटी में किए गए गबन के लिए जिम्मेदार है. 1,31,800.97 और प्रत्यक्ष इस राशि को प्रतिवादी से वसूलने के लिए सौंडा क्रेडिट नंबर 3 के साथ ब्याज @ 15% और आगे प्रत्यक्ष 31 मार्च तक इस राशि को जमा करने के लिए प्रतिवादी संख्या 3, 1997. यदि यह राशि नियत तारीख तक जमा नहीं की जाती है यानी 31 मार्च, 1997, तब सोसायटी का अधिकार होगा प्रिंसिपल को पुनर्प्राप्त करने के लिए अर्थात्. रुपये. 1.31.800.97 + ब्याज (015%)% 31 मार्च, 1997 तक और भविष्य में ब्याज @ 18% तक राशि का एहसास होता है. तदनुसार पार्टियों को सूचित करें. की घोषणा की
>
> 2 जनवरी, 1997 को दिनांकित.

.(3) पूर्वोक्त आदेश के खिलाफ, दावेदार ने आर दायर किया. नहीं. 9/ 97 सरकार के संयुक्त सचिव हरियाणा, सहयोग से पहले अधिनियम की धारा 115 के

तहत विभाग। संशोधन याचिका में दावेदार ने तर्क दिया कि अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियों

इस आधार पर पक्षपाती था कि "उससे जुड़ा एक कर्मचारी उस गाँव का है जहाँ सोसायटी चल रही है". यह आरोप था सोसायटी द्वारा जमीन पर उत्तरदाताओं के लिए वकील द्वारा इनकार कर दिया मध्यस्थता की कार्यवाही के लिए एक पक्ष भी नहीं था. और भी बहुत कुछ, अतिरिक्त रजिस्ट्रार के व्यक्तिगत कर्मचारियों के खिलाफ आरोप सहकारी समितियों को पूरी तरह से निराधार कहा गया था. यह तर्क दिया गया था कि दावेदार को समर्थन में एक हलफनामा देना चाहिए था संशोधन याचिका में लगाए गए भड़कीले आरोप. संशोधन का उद्देश्य संयुक्त द्वारा 23 मई, 1997 को कंटेमोर द्वारा दायर को खारिज कर दिया गया था सचिव सहयोग विभाग, निम्नलिखित के साथ हरियाणा अवलोकन: —

> "“मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और इसका दुरुपयोग किया है फ़ाइल पर उपलब्ध रिकॉर्ड. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, मेरी राय है कि उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति का संचालन करते समय हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 की धारा 102 के तहत मध्यस्थ के रूप में कोई अधिकार नहीं है मध्यस्थता कार्यवाही के लिए पार्टी के रूप में किसी एक को लागू करें हरियाणा सहकारी समिति की धारा 103 के तहत अधिनियम, 1984. एक मध्यस्थ क्षेत्राधिकार मानता है एक समाज और उसके घटकों के बीच विवाद का फैसला करें या एक नौकर द्वारा किए गए संदर्भ के आधार पर रजिस्ट्रार. संदर्भ के अभाव में उसके पास कोई नहीं है मध्यस्थता के लिए किसी भी पार्टी को लागू करने का अधिकार कार्यवाही. *प्राइमा फेशियल* द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया मध्यस्थ अवैध था. यह भी माननीय द्वारा आयोजित किया गया है शमशेर के एक मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय सिंह और अन्य *बनाम* हरियाणा राज्य दिनांकित 4 नवंबर, 1986. इसलिए यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि में में याचिकाकर्ता की भागीदारी के संबंध में सोसायटी फंडों का गबन, देयता नहीं हो सकती प्रतिवादी पर उपवास किया क्योंकि मध्यस्थ से पहले संदर्भ विशिष्ट है और उसे भीतर निर्णय लेना है संदर्भ के चार कोनों को संदर्भित किया गया है. इसलिए मैं खारिज करता हूं याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई संशोधन याचिका लागत के रूप में आदेश.
>
> खुले न्यायालय में घोषित. चंडीगढ़, दिनांक
> 23 मई, 1997"

(4)इन दो आदेशों को कंटेमोर ने चुनौती दी थी C.W.P. 1998 की संख्या 210. प्रस्ताव की सुनवाई के लिए रिट याचिका आई 9 जनवरी, 1998 को. 9 जनवरी, 1998 को एक डिवीजन बेंच इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया: —

"श्री एस.एस.डाल, एडवोकेट

16 फरवरी, 1998 को प्रस्ताव की सूचना.

(एसडी।). .

(T.H.B. CHALAPATHI), न्यायाधीश.

9 जनवरी, 1998(एसडी।).

(बी. RAI),
न्यायाधी
श".

(5)17 फरवरी, 1998 को, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा उत्तरदाताओं नंबर 1, 2 और 7 के लिए दिखाई दिया यानी सेवा थी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, हरियाणा, संयुक्त पर प्रभाव डाला हरियाणा सरकार के सचिव और अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, हरियाणा. ताजा नोटिस जारी किए गए थे उत्तरदाताओं नंबर 3 से 6. सेवा पूरी होने के बाद, 13 जुलाई, 1998 को, उत्तरदाताओं नंबर 3 से 6 ने श्री आशा के माध्यम से लिखित बयान दर्ज किया नंद शर्मा, एडवोकेट.

(6)रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने कोई विवरण नहीं दिया सोसायटी के साथ उनकी सेवा के संबंध में. अंतरिम राहत के माध्यम से, कंटेमोर ने प्रार्थना की थी कि रिट की पेंडेंसी के दौरान याचिका, लगाए गए आदेशों का संचालन, अनुलग्नक पी -2 और न्याय के हित में पी -3 को रोका जा सकता है. जैसा कि पहले देखा गया था प्रस्ताव की सूचना जारी करते समय इस न्यायालय ने कार्रवाई नहीं की आदेशों की, अनुलग्नक पी -2 और पी -3 यानी अतिरिक्त द्वारा पारित आदेश रजिस्ट्रार (क्रेडिट) सहकारी समितियों, अपील कॉप में हरियाणा. नहीं. 17/96, दिनांक 2 जनवरी, 1996 और संयुक्त द्वारा पारित आदेश हरियाणा सरकार के सचिव, सहयोग विभाग हरियाणा में आर.ए. नंबर 9/97, दिनांक 23 मई, 1997. उत्तरदाताओं के बाद नंबर 3 और 6 ने लिखित बयान दर्ज किया, इस मामले को अनुरोध पर 26 अगस्त, 1998 को स्थगित कर दिया गया. इस क्रम में, केवल की

उपस्थिति याचिकाकर्ता के वकील का उल्लेख किया गया है. इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि

दावेदार के लिए वकील के अनुरोध पर स्थगन दिया गया था. 26 अगस्त, 1998 को फिर से मामला 8 अक्टूबर को स्थगित कर दिया गया, 1998 के लिए वकील के अनुरोध पर. फिर से 8 तारीख को अक्टूबर, 1998 को इस मामले को 8 दिसंबर, 1998 को स्थगित कर दिया गया याचिकाकर्ता (अनुदानकर्ता) के लिए वकील का लिखित अनुरोध. वही स्थगन का अनुरोध 8 दिसंबर, 1998 और को किया गया था मामला 17 फरवरी, 1999 को स्थगित कर दिया गया था. इसके बाद मामला 30 मार्च, 1999 को बोर्ड पर आया था. किस तारीख को, प्रतिकृति याचिकाकर्ता / दावेदार द्वारा दायर को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दी गई थी और मामला 7 अप्रैल, 1999 को स्थगित कर दिया गया. उस तारीख को एक श्री रमेश हुडा, एडवोकेट याचिकाकर्ता के वकील के लिए उपस्थित हुए और कहा कि याचिकाकर्ता के लिए वकील उपलब्ध नहीं है कुछ चुनाव का हिसाब. उनके अनुरोध पर, इस मामले को सुनवाई तक पहुंचने तक कई अवसरों पर खड़ा किया गया था. 10 जनवरी को, 2000, इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने निम्नलिखित आदेश पारित किया: —

श्री. एस.एस. दलाई, एडवोकेट के साथ याचिकाकर्ता कुलदीप सिंह गुरचरन सिंह का बेटा.

श्री एन.के. जोशी, एएजी, हरियाणा *उत्तरदाताओं 1, 2 और* 7. श्री आशा नंद शर्मा, एडवोकेट *उत्तरदाताओं के लिए 3 से 6.* "N.K. सोधि, जे. (ओरल) :

याचिकाकर्ता सौंडा सहकारी के पूर्व सचिव हैं क्रेडिट एंड सर्विस सोसाइटी लिमिटेड, सौंडा (संक्षेप में) समाज). पर ए के तहत सोसायटी द्वारा किए गए संदर्भ हरियाणा सहकारी समितियों की धारा 102/103 अधिनियम, सोसायटी और याचिकाकर्ता के बीच विवाद उप रजिस्ट्रार को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था, सहकारी समितियों ने अपने पुरस्कार से 1 मई को, 1996 में याचिकाकर्ता को रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी पाया गया. सोसायटी को 1,31,800.97 जो राशि कथित रूप से थी उसके द्वारा गलत व्यवहार किया गया. पुरस्कार की पुष्टि की गई अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी द्वारा अपील सोसायटी, हरियाणा और राज्य सरकार द्वारा भी याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक संशोधन याचिका में. ये वर्तमान रिट याचिका में आदेशों को चुनौती दी गई है संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर किया गया.

जब यह याचिका 9 जनवरी को सुनवाई के लिए आई, 1998 के लिए उत्तरदाताओं को प्रस्ताव की सूचना जारी की गई थी 16 फरवरी, 1998 और भले ही प्रार्थना के लिए लगाए गए आदेशों का संचालन करना था याचिका में बनाया गया, कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था यह न्यायालय. याचिकाकर्ता ने प्रमाणित प्रति प्राप्त की आदेश और शब्दों को प्रक्षेपित किया "और बने रहें" उसमें और अंबाला से पहले ही उत्पादन किया सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंबाला का दावा इस राशि की वसूली को रोक दिया गया था कोर्ट. उत्तरदाताओं ने तब एक आवेदन किया सही तथ्यों की ओर इशारा करते हुए और बर्खास्तगी के लिए प्रार्थना की याचिकाकर्ता द्वारा किए गए प्रक्षेप के मद्देनजर रिट याचिका.

हमने पार्टियों के लिए सीखा वकील सुना है. यह अंदर नहीं है विवाद यह है कि याचिकाकर्ता ने प्रमाणित किया इस न्यायालय से प्राप्त आदेश की प्रति और जोड़ी गई जब कोई आदेश नहीं था, तो वास्तव में, शब्द थे इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया. उसका आचरण नहीं हो सकता पदावनत और उनके निंदनीय आचरण के मद्देनजर हम हमारे अभ्यास में रिट याचिका को खारिज करें योग्यता में जाने के बिना विवेकाधीन क्षेत्राधिकार लगाए गए आदेशों की. वह लागत का भुगतान करेगा उत्तरदाताओं का मूल्यांकन किया जाता है जो रु. 20,000.

चूंकि याचिकाकर्ता ने आदेश की प्रमाणित प्रति जाली की थी इस न्यायालय से प्राप्त, हम प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं उन्होंने इस न्यायालय की अवमानना की है जिसके लिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्तरदायी है. नोटिस जारी करने के लिए उसे कारण दिखाने के लिए कि उसे दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए इस न्यायालय की अवमानना की.

याचिकाकर्ता व्यक्ति में मौजूद है और नोटिस स्वीकार करता है. वह अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह के समय की अनुमति है.

21 फरवरी, 2000 को स्थगित किया गया.

(एसडी।). . (N.K. SODHI), JUDGE

10 जनवरी, 2000(एसडी।). . एन.के. SUD, JUDGE

न्यायालय अपने प्रस्ताव पर वी. कुलदीप सिंह297
(एस.एस. निज्जर, जे)

(() पूर्वोक्त आदेश का एक उद्देश्य यह दर्शाता है कि रिट याचिका के गुण में जाने के बिना दावेदार को खारिज कर दिया गया था लगाए गए आदेश. उन्हें उत्तरदाताओं को लागत का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया था रुपये पर मूल्यांकन किया गया. 20.000. इसके अलावा, डिवीजन बेंच था *प्रथम facie* संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता ने अवमानना की थी कोर्ट. इसलिए, उसे एक शो-कारण नोटिस जारी किया गया था. याचिकाकर्ता जो कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने नोटिस स्वीकार कर लिया. उसे चार की अनुमति थी अपना जवाब दाखिल करने के लिए हफ्तों का समय. मामला 21 फरवरी को स्थगित कर दिया गया, 2000. याचिकाकर्ता / दावेदार का आचरण नोटिस में आया डिवीजन बेंच 10 जनवरी, 2000 को औसत के अनुमान पर 13 तारीख को उत्तरदाताओं नंबर 3 से 6 द्वारा दायर लिखित बयान में किया गया जुलाई, 1998. इस लिखित बयान में, इन उत्तरदाताओं ने कहा था याचिकाकर्ता न केवल तथ्यों को छिपाने का दोषी है, बल्कि है एक अभ्यस्त जोड़तोड़. द्वारा संशोधन याचिका को खारिज करने के बाद आदेश, अनुलग्नक पी -3, उन्हें 2 जनवरी, 1998 को एक नोटिस दिया गया था के केंद्रीय सहकारी बैंक अंबाला द्वारा वसूली के लिए गबन राशि. याचिकाकर्ता (कंटेमर) ने नोटिस से परहेज किया 16 जनवरी, 1998 तक. इस बीच, उन्होंने इस न्यायालय से संपर्क किया दाखिल करके C.W.P. 1998 की संख्या 210 जिसे 9 तारीख को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था जनवरी, 1998. जैसा कि पहले देखा गया था, इस न्यायालय ने केवल नोटिस जारी किया था गति और कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई. 27 जनवरी, 1998 को, उन्होंने 9 जनवरी, 1998 के आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया. प्रमाणित प्रति कार्यालय द्वारा 4 फरवरी, 1998 को तैयार की गई थी और 13 फरवरी, 1998 को वितरित किया गया. उसने एक आवेदन प्रस्तुत किया 21 फरवरी, 1998 को अंबाला सहकारी बैंक को बताते हुए उसमें उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई में अपील दायर की थी न्यायालय और उच्च न्यायालय ने आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी इस मामले में. उन्होंने उल्लेख किया कि पहले भी उन्होंने जानकारी भेजी थी बैंक को. इसके बाद वह कहता है "इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि तब तक उच्च न्यायालय के आगे के निर्णय, कार्यवाही को विनम्रतापूर्वक रोका जा सकता है उपरोक्त मामले में". आदेश की प्रति जो उसने प्रस्तुत की अंबाला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने आदेश पारित किया 9 जनवरी, 1998 को इस न्यायालय द्वारा के रूप में है

'वर्तमान

माननीय श्री न्यायमूर्ति टी.एच.बी. Chalapathi.
माननीय श्री न्यायमूर्ति बी. राय.

याचिकाकर्ता के लिए श्री एस.एस. दलाई, एडवोकेट

के लिए प्रस्ताव की सूचना और दी गई। 16 फरवरी, 1998.

(एसडी।). . (T.H.B. Chalapathi)
न्यायाधीश.

(एसडी।). .

9 जनवरी, 1998(B.RAI) न्यायाधीश "".

(() यह उत्तरदाताओं द्वारा औसतन था कि इसका दुरुपयोग याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत की गई प्रति स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मूल क्रम में शब्द "और दिए गए रहें" हैं प्रक्षेपित किया गया. यह कहा गया था कि "याचिकाकर्ता के पास ही नहीं है इस मनगढ़ंत आदेश को प्रस्तुत करके अधिकारियों को गुमराह किया लेकिन इस माननीय न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करके भी धोखाधड़ी की है इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर छेड़छाड़. न केवल रिट याचिका को खारिज करने के लिए उत्तरदायी है, बल्कि अपनी गति में उपयुक्त कार्रवाई है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थना की जाती है. याचिकाकर्ता को भी उसका जाली प्रवास के आधार पर 2 अप्रैल, 1998 को निलंबन रद्द कर दिया गया आदेश (आर -2) "". उत्तरदाताओं ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता रुपये की राशि का गबन करने के दायित्व को स्वीकार किया. 19,737.00 तक उसी को जमा करना और आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं करना. यह आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने झूठे दस्तावेजों को जोड़ा था संशोधन प्राधिकरण के समक्ष अनुलग्नक आर / 1, आर / 4, आर / 5, आर 16 और आर / 10 के रूप में आरोप लगाया कि प्रतिवादी संख्या 3 ने इन वाउचर पर हस्ताक्षर किए थे कुछ गवाहों की उपस्थिति. इन गवाहों ने पहले हलफनामे दायर किए अधिकारियों ने कहा कि ये हस्ताक्षर याचिकाकर्ता द्वारा जाली थे, कुलदीप सिंह. इन हलफनामों को चुनौती नहीं दी गई है किसी भी कार्यवाही में याचिकाकर्ता. इसलिए याचिकाकर्ता था, प्रतिवादी सं। से पहले साक्ष्य गढ़ने का दोषी. 2. उत्तरदाताओं नंबर 3 से 6 ने आगे बताया कि पहले भी कई अवसरों पर याचिकाकर्ता / दावेदार धन के गबन में लिप्त रहे हैं कई समाज. रुपये का योग. 1,31,342.00 से गबन peitioner / contemnor के तहत दिया गया है: —

"27-7-96 रुपये. 19,737.00 सौंडा C.A.S.S.

27-7-96 रुपये. 15,300.00 भानो खीरी C.A.S.S.

27-7-96 रुपये. 4,700.00 -do-

(एस.एस. निज्जर, जे)

27-7-96 27-7-96 27-1-97 29-7-96 17-8-96 26-9-96 4-10-96	रुपये. 5,000.00 -do- रुपये. 5,000.00 -do- रुपये. 6,603.00 सौंडा C.A.S.S. रुपये. 30,000.00 पंजोखेरा C.A.S.S. रुपये. 11,883.00 सी.बी. अंबाला रुपये. 12,117.00 पंजोखेरा C.A.S.S. रुपये. 21,002.00 सी.बी. Ambala."

(9)ये राशि याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई थी यह स्पष्ट रूप से दिखाते हुए कि उसने पूर्वोक्त राशियों का गबन किया था. वह निलंबन के तहत रखा गया था समय से समय के लिए. बाकी का जवाब दाखिल किया उत्तरदाताओं द्वारा नंबर 3 से 6 वैधता या अन्यथा से संबंधित है उत्तरदाताओं नंबर 2 और 3 द्वारा पारित आदेश जो इन कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक नहीं हैं. विडंबना यह है कि याचिकाकर्ता / दावेदार 25 मार्च, 1999 को इन आरोपों की प्रतिकृति दर्ज की गई. उन्होंने प्रतिकृति में किए गए औसत को निम्नानुसार सत्यापित किया है: —

"सत्यापन :

सत्यापित किया गया है कि उपरोक्त प्रतिकृति की सामग्री में निहित है प्रारंभिक आपत्तियों का उत्तर 1 से 4 और योग्यता पर पैरा 1 से 10 तक मेरे ज्ञान के लिए सही और सही हैं. इसका कोई हिस्सा गलत नहीं है और कुछ भी सामग्री नहीं रखी गई है उसमें छुपा हुआ. सलाह पर कानूनी प्रस्तुतियाँ जो सही और सही हैं.

चंडीगढ़ (एसडी). .

दिनांक २५ मार्च, ९९।कुलदीप सिंह"

(10) प्रारंभिक आपत्तियों के जवाब में, याचिकाकर्ता/ contemnor ने कहा कि वास्तव में उत्तरदाताओं नंबर 3, 4, 5 और 6 ने बनाया था के साथ झूठे और तुच्छ आरोप लगाने का असफल प्रयास पक्षपाती मन और उल्टा मकसद. मांग नोटिस प्राप्त होने पर, . याचिकाकर्ता ने आवेदन पत्र, अनुलग्नक पी -4 को रिट को प्रस्तुत किया था

याचिका दिनांक 12 जनवरी, 1998. अनुलग्नक पी -4 में, यह कहा गया है के तहत: —

"सेवा

प्रबंधक,
अंबाला सेंट्रल कॉप. बैंक लि. अंबाला शहर.

विषय वर्तमान याचिका.

महोदय,

यह प्रस्तुत किया जाता है कि मैंने रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ रिट दायर की, सहकारी समितियों, आयुक्त से पहले हरियाणा, सहयोग विभाग जिसे आयुक्त, सहयोग द्वारा खारिज कर दिया गया था विभाग, जिसकी प्रति 23 नवंबर, 1997 को प्राप्त हुई थी. इसके विरुद्ध। आदेश मैंने माननीय पंजाब और हरियाणा में मामला दर्ज किया उच्च न्यायालय, चंडीगढ़, धारावाहिक सं। जिसमें से 210 है. इस मामले में, 16 फरवरी, 1998 को अगली तारीख तय की गई है.

इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि सभी प्रकार की कार्यवाही हो सकती है उच्च न्यायालय के निर्णय तक लंबित रखा गया.

आवेदक

कुलदीप सिंह,

(एसडी).

उच्च न्यायालय के प्रस्ताव की सूचना की प्रति संलग्न है. धन्यवाद.12 जनवरी, 1998.

सचिव,
शहजादपुर शाखा.

Dv. नहीं. 3359

(11)इसके आधार पर, याचिकाकर्ता कहता है कि वहाँ है किसी भी भौतिक तथ्य का कोई छिपाव नहीं था और कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी 9 जनवरी, 1998 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के साथ. यह आगे है कहा कि बैंक द्वारा भेजे गए मांग नोटिस के जवाब में याचिकाकर्ता ने दिनांक 24 फरवरी, 1998 को आवेदन भेजा था प्रतिकृति के रूप में अनुलग्नक पी -5. इस आवेदन में भी याचिकाकर्ता ने यह नहीं कहा था कि इस न्यायालय द्वारा ठहरने की अनुमति दी गई है. उन्होंने आगे कहा कि जब मामला 9 तारीख को सुनवाई के लिए आया था जनवरी, 1998, याचिकाकर्ता अदालत और वकील में मौजूद था उत्तरदाताओं के लिए भी मामला देख रहा था. के लिए वकील उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता के वकील से पुष्टि की थी कि नहीं रहना मंजूर हो गया था. उन्होंने कहा कि "9 जनवरी, 1998 के आदेश के साथ छेड़छाड़ प्रतिवादी और उसी के द्वारा जानबूझकर की गई है याचिकाकर्ता के खिलाफ साजिश रचने के बाद किया गया है "". द याचिकाकर्ता जानबूझकर प्रतिभागियों की पहचान करने से चूक जाता है साजिश, यदि कोई हो. दिलचस्प बात यह है कि सिद्ध का कोई खंडन नहीं है गबन, जिसका विवरण पैराग्राफ 3 में दिया गया था उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए प्रारंभिक आपत्तियां नहीं, 3, 4, 5 और 6. देखने में 10 जनवरी, 2000 को डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश. O.C.P. 2000 के नंबर 3 को पंजीकृत किया गया था और पहले रखा गया है यह बेंच. 19 अप्रैल, 2000 को, दावेदार ने जवाब दिया शो-कारण नोटिस के लिए शपथ पत्र. इस उत्तर में, उन्होंने पुनः पेश किया है 12 जनवरी, 1998 को भेजे गए कथित आवेदनों की सामग्री जो पहले ही ऊपर पुनः पेश किया जा चुका है. के पैरा 5 में हलफनामा, याचिकाकर्ता ने निम्नानुसार कहा हैः —

> "5. 10 वीं तारीख के नोटिस के संबंध में किसी भी प्रकार या प्रकृति के किसी भी बचाव को रखे बिना जनवरी, 2000, प्रतिपादक, बिना शर्त, इस के भोग के लिए माफी और लालसा के लिए आवेग और भीख माँगता है उनके निर्वहन और अनुपस्थिति के लिए माननीय न्यायालय तदनुसार."

(12)उन्होंने आगे कहा है कि याचिकाकर्ता निलंबित कर दिया गया था 16 मार्च, 1998 को और 2 अप्रैल को उनका निलंबन रद्द कर दिया गया, 1998. वह आगे कहता है कि कथित पत्र में जालसाजी है 9 जनवरी, 1998 को बने उच्च न्यायालय के दस्तावेज / आदेश दिनांक 21 फरवरी, 1998 है. याचिकाकर्ता / प्रतिपादक ने बनाया था 21 फरवरी, 1998 को पत्र, फिर याचिकाकर्ता का निलंबन 16 मार्च, 1998 को पारित नहीं किया जा सकता था. वह कहता है कि "में

तथ्य 9 जनवरी, 1998 को प्रस्ताव के नोटिस जारी करने के बाद और 12 जनवरी, 1998 को पत्र भेजना, के लिए परामर्श उत्तरदाताओं नंबर 3 से 6 आशा नंद शर्मा ने याचिकाकर्ता से मुलाकात की थी/ 14 जनवरी, 1998 को प्रतिपादक और उन्होंने बताया कि वह सफल नहीं होंगे मामले में और यह वह है जो उसे मामले में सफल बना देगा साथ ही मध्यस्थता के मामले में क्योंकि निखट्ट सिंह को नहीं बनाया जाना था आर्बिट्रेटर द्वारा पार्टी जो अब प्रतिवादी नंबर 3 है और जिसके लिए उद्देश्य उन्होंने दो रिक्त पत्रों और शक्ति पर हस्ताक्षर प्राप्त किए वकील और रु। फीस के रूप में 20,000. रुपये। याचिकाकर्ता द्वारा श्री आशा नंद शर्मा को 15,000 का भुगतान किया गया था, जो उनके चैंबर में एडवोकेट थे नंबर 205, सिविल कोर्ट, चंडीगढ़ में स्थित; गांधार राज के माध्यम से शिक्षक, अब सेवानिवृत्त हो गए क्योंकि याचिकाकर्ता ने उन्हें विश्वास नहीं किया प्रबंधन के लिए विपरीत वकील. श्री का हलफनामा श्री भुल्ला राम के पुत्र गांधार राज को अनुलग्नक PIC के रूप में संलग्न किया गया है". हलफनामे के पैरा 8 में, कंटेम्पनर ने भी इनकार किया है 21 फरवरी, 1998 को पत्र का लेखकत्व. लेकिन वह कहता है "हालांकि, हस्ताक्षर याचिकाकर्ता / प्रतिपादक के हैं". उसकी प्रार्थना क्या वह अवमानना की कार्यवाही से बाहर हो गया है. समर्थन में आशा नंद शर्मा, अधिवक्ता, दावेदार के खिलाफ औसत पंबुल्ला राम के पुत्र गांधार राज का हलफनामा भी दायर किया है, हाउस नं. 409, जोगी मंडी, डाचा बाजार, अंबाला कैंट. यह उत्तर 20 अप्रैल, 2000 को रिकॉर्ड और मामले पर लिया गया था 5 मई, 2000 को सूचीबद्ध होने के लिए निर्देशित किया गया था.

(१३) रिकॉर्ड से यह स्पष्ट हो जाता है कि हैरान होना कंटेमोर द्वारा आरोपों मोड द्वारा, आशा नंद शर्मा, एडवोकेट ने Crl दायर किया है. 2000 की एम। 12668 की अनुमति की मांग यह न्यायालय 3 मई, 2000 को कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए. 5 तारीख को मई, 2000, यह मामला 8 मई, 2000 तक बना रहा. 8 मई, 2000 को, एक डिवीजन बेंच जिसमें जे.एल. गुप्ता, जे। और मेहताब सिंह गिल, जे ने देखा है कि दावेदार ने एक अतिरिक्त जवाब दायर किया है दिनांक 7 मई, 2000. हालांकि, बेंच ने इस मामले को निर्देशित किया 5 वें डी.बी. से पहले रखा जाए। चूंकि मामला पहले था उस बेंच द्वारा माना जाता है. अतिरिक्त उत्तर में, याचिकाकर्ता को प्रस्तुत किया गया याचिकाकर्ता की रिट याचिका को पहले ही खारिज कर दिया गया था रुपये की लागत के साथ। 20,000, वर्तमान कार्यवाही पर रोक लगाई जाएगी भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (2) के तहत. उसे दंडित नहीं किया जा सकता एक ही अपराध के लिए दो बार. उन्होंने सीमा का आधार भी उठाया है अदालत की अवमानना के लिए कार्यवाही के लिए एक बार के रूप में. कहा जाता है कि की किसी भी कार्यवाही में कथित जालसाजी नहीं की गई है

न्यायालय अपने प्रस्ताव पर वी. कुलदीप सिंह303
(एस.एस. निज्जर, जे)

यह न्यायालय. याचिकाकर्ता ने कोई जाली दस्तावेज दाखिल नहीं किया और इस न्यायालय के समक्ष 9 जनवरी, 1998 के आदेश को प्रक्षेपित नहीं किया. उत्तरदाताओं ने आरोप लगाया है कि 21 फरवरी, 1998 को उनके सामने वही स्थानांतरित किया गया था. इसलिए, अब अवमानना की कार्यवाही शुरू हुई 10 जनवरी, 2000 के आदेश द्वारा इस न्यायालय द्वारा कानून द्वारा वर्जित हैं न्यायालयों के अधिनियम की धारा 20 के गुण द्वारा सीमा, 1971 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में जाना जाता है). कार्रवाई का कारण, यदि कोई हो, 21 फरवरी, 1998 को या लिखित होने पर सबसे अच्छा होने पर उत्पन्न हुआ उत्तरदाताओं द्वारा 30 जुलाई, 1998 को बयान दर्ज किया गया था 10 जनवरी, 2000 को शुरू की गई कार्यवाही हैं सीमा से स्पष्ट रूप से वर्जित है जो उस तारीख से एक वर्ष है जिस पर अवमानना का आरोप लगाया गया है.

(14)इस मामले को फिर से 5 वीं डी.बी. 29 तारीख को मई, 2000. बेंच ने श्री अनूपम गुप्ता, एडवोकेट से अनुरोध किया एमिकस क्यूरिया के रूप में न्यायालय की सहायता करें. इस अनुरोध को श्री ने स्वीकार कर लिया. गुप्ता. मामले को तैयार करने के लिए वकील को सक्षम करने के लिए, इसे स्थगित कर दिया गया था 1 अगस्त, 2000 तक.

(15)हमने सुना है श्री के.एस. के लिए सीखा वकील Jaitley दावेदार और श्री अनूपम गुप्ता, एमिकस क्यूरिया.

(16)श्री Jaitley द्वारा उन्नत पहला और सबसे महत्वपूर्ण तर्क, दावेदार के लिए सीखा वकील यह है कि वर्तमान कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 20 (2) के तहत न्यायालय की अवमानना पर रोक लगाई गई है भारत का. याचिकाकर्ता द्वारा दायर 1998 की सिविल राइट याचिका संख्या 210 10 जनवरी को इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था, 2000 इस आधार पर कि याचिकाकर्ता ने प्रमाणित को प्रक्षेपित किया था 9 जनवरी, 1998 के आदेश की प्रति. उसने कहा कि पूर्वोक्त रिट याचिका को डिवीजन बेंच द्वारा बिना खारिज कर दिया गया था मामले की खूबियों में जाना. बेंच ने जांच नहीं की योग्यता पर मामला क्योंकि यह संतुष्ट था कि याचिकाकर्ता ने 9 जनवरी, 1998 के आदेश में प्रक्षेप किया था और प्रस्तुत किया था अधिकारियों के समक्ष भी. यह बेंच द्वारा

आयोजित किया गया है दावेदार का आचरण नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे ध्यान में रखा जा सकता है निंदनीय आचरण के कारण, याचिका को खारिज कर दिया लागत का मूल्यांकन रु. 20,000. इस प्रकार, याचिकाकर्ता को पहले ही दोषी ठहराया गया था और दंडित किया गया था. अवमानना के लिए आगे की कार्यवाही समान आरोपों के आधार पर दोहरे खतरे की राशि होगी.

(17)श्री जेटली ने तब प्रस्तुत किया कि वर्तमान कार्यवाही अधिनियम के तहत प्रदान की गई सीमा की अवधि से परे हैं। अनुसार श्री Jaitley के लिए, दावेदार को आदेश को प्रक्षेपित करने का आरोप है 9 जनवरी, 1998 को दिनांकित और अधिकारियों के समक्ष समान उत्पादन किया 21 फरवरी, 1998 को. अवमानना की कार्यवाही जो की गई है 10 जनवरी, 2000 को शुरू किया गया, स्पष्ट रूप से अवधि से परे है अधिनियम की धारा 20 के तहत प्रदान की गई एक वर्ष की सीमा। वह आगे प्रस्तुत किया गया कि किसी भी मामले में अवमानना को लाया गया था न्यायालय की सूचना जब प्रतिवादी संख्या 3 से 6 ने लिखित दायर की 13 जुलाई, 1998 को बयान. इस तिथि से भी, की दीक्षा 10 जनवरी, 2000 के आदेश द्वारा अवमानना की कार्यवाही सीमा से परे. उपरोक्त प्रस्तुत करने के समर्थन में, सीखा हुआ वकील मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया है का ***ओम परश जयसवाल*** बनाम ***डी.के. मित्तल, (1).***

(18)श्री Jaitely ने आगे प्रस्तुत किया कि दावेदार के पास है उत्तर दिनांक के पैराग्राफ 5 में बिना शर्त माफी की पेशकश की 19 अप्रैल, 2000. उन्होंने कहा कि माफी के मद्देनजर, दावेदार पर कोई और सजा नहीं दी जाएगी. उसने जमा किया उस न्याय को दया के साथ करना होगा. पूर्वोक्त के समर्थन में प्रस्तुत करना, सीखा हुआ वकील माननीय के निर्णय पर निर्भर करता है के मामले में सुप्रीम कोर्ट ***आर. दयानंद सागर आदि.,*** बनाम ***वताल .नागा राज आदि, (2).***

(19)योग्यता के आधार पर, विद्वान वकील ने वहां प्रस्तुत किया है इस आशय का कोई सबूत नहीं है कि दावेदार ने क्या किया है 9 जनवरी, 1998 के आदेश में कथित जालसाजी. आरोप प्रकृति में अपराधी होना उचित संदेह से परे साबित होना है. किसी भी घटना में, आदेश की जालसाजी अवमानना नहीं होगी पहले किसी भी कार्यवाही में जाली आदेश का उत्पादन नहीं किया गया था यह न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय इस न्यायालय के अधीनस्थ है. यह प्रस्तुत किया गया है यह कोई सबूत नहीं है और याचिकाकर्ता को नहीं रखा जा सकता है योग्यता पर न्यायालय की अवमानना के लिए दोषी.

(20)दूसरी ओर, श्री अनूपम गुप्ता ने एमिकस को सीखा क्यूरिया ने तर्क दिया है कि रिट याचिका को खारिज नहीं किया जाएगा अनुच्छेद के तहत परिकल्पित के रूप में अभियोजन और सजा की राशि भारत के संविधान का 20 (2). इसलिए, दोहरे खतरे का नियम

दावेदार द्वारा लागू नहीं किया जाएगा. इसके समर्थन में प्रस्तुत वकील ने माननीय के दो निर्णयों पर भरोसा किया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा. ***थॉमस दाना*** बनाम ***पंजाब राज्य, (3) और सीमा शुल्क, बॉम्बे और एक अन्य बनाम के सहायक कलेक्टर एल.आर. मेलवानी और एक अन्य, (4).***

(21)श्री गुप्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि वर्तमान कार्यवाही को सीमा के अनुसार वर्जित नहीं कहा जा सकता है अधिनियम की धारा 20 के तहत। इस सबमिशन के समर्थन में सीखा वकील ने मामले में इस न्यायालय के पूर्ण बेंच फैसले पर भरोसा किया है का ***मंजीत सिंह और अन्य*** बनाम ***दर्शन सिंह और अन्य, (5),*** जिसे विशेष रूप से माननीय सर्वोच्च द्वारा अनुमोदित किया गया है के मामले में कोर्ट ***पल्लव शेठ*** बनाम ***कस्टोडियन और अन्य, (6).*** उन्होंने आगे कहा कि माननीय सर्वोच्च का निर्णय अदालत ने सीमा की दलील के समर्थन में दावेदार द्वारा भरोसा किया ओम पार्काश जायसवाल के मामले (सुप्रा) में, वास्तव में, द्वारा अधिग्रहित किया गया है पल्लव शेथ के मामले (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय.

(22)श्री गुप्ता ने आगे कहा है कि इसका दुरुपयोग किसी भी रूप में न्यायालय की प्रक्रिया न्यायालय के आधार पर अवमानना का गठन कर सकती है प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर. फोर्जिंग, परिवर्तन या किसी भी आधिकारिक न्यायालय के दस्तावेज को प्रक्षेपित करना एक स्पष्ट उदाहरण है अवमानना. इस सबमिशन के समर्थन में, सीखा वकील पर भरोसा किया है कुछ अंग्रेजी लेखकों की अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त टिप्पणियां, अर्थात. " निगेल लोव और ब्रेंडा सुफ्रिन द्वारा लॉ ऑफ कंटेम्प्ट (तीसरा संस्करण); ओसवाल्ड की "कोर्ट की अवमानना"; सी.जे. मिलर की "कोर्ट की अवमानना"; तथा अर्लीज, एदी और स्मिथ "ऑन कंटेम्प्ट (दूसरा संस्करण)". पर पूर्वोक्त टिप्पणियों में की गई टिप्पणियों के आधार पर, सीखा गया एमिकस क्यूरिया ने प्रस्तुत किया कि साबित करने के लिए किसी और सबूत की आवश्यकता नहीं है वह अवमानना याचिकाकर्ता द्वारा की गई है. वकील की तलाश की आगे प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई माफी है बिना शर्त नहीं. वही केवल सजा से बचने के बहाने के रूप में प्रस्तुत किया गया है. उन्होंने आगे कहा कि दावेदार होने जानबूझकर इस न्यायालय के आदेशों को लागू किया, अनुकरणीय सजा उस पर थोपा जाना चाहिए.

(3)AIR 1959 SC 375
(4)AIR 1970 SC 962
(5)1984 Crl. एल.जे. 301
(6)जेटी 2001 (6) एससी 330

(२३) हमने सीखा द्वारा किए गए सबमिशन पर विचार किया है पार्टियों के लिए वकील. दावेदार द्वारा उठाए गए मुद्दे नहीं हैं लंबे समय तक पूर्ण रूप से उसी के रूप में आधिकारिक तौर पर तय किया गया है रिपोर्ट किए गए निर्णयों की अधिकता में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय का पूर्ण बेंच निर्णय. इसलिए, यह आवश्यक नहीं होगा हमारे लिए पहले सिद्धांतों पर मामले पर पुनर्विचार करना. जैसा कि पहले देखा गया था, दावेदार के लिए सीखा वकील द्वारा किया गया पहला सबमिशन यह है कि वर्तमान कार्यवाही अनुच्छेद 20 (2) के तहत वर्जित है भारत का संविधान. संविधान का अनुच्छेद 20 (2) इस प्रकार है: —

"20. अपराधों की सजा के संबंध में संरक्षण.

(1) XXX XXX XXX

(2) किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा अपराधएक से अधिक बार.

(२४) पूर्वोक्त अनुच्छेद का एक नंगे छिद्र से पता चलता है कि ए व्यक्ति इस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा का दावा कर सकता है यदि उसे पहले से ही मुकदमा चलाया गया है और उसी अपराध के लिए दंडित किया गया है. दूसरे शब्दों में, सबसे पहले, उस पर अदालत द्वारा पिछली कार्यवाही में मुकदमा चलाया गया होगा सक्षम क्षेत्राधिकार का. दूसरे, अपराध जो विषय है-दूसरी कार्यवाही की बात, पहले की तरह ही होनी चाहिए कार्यवाही, जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे दंडित किया गया. वर्तमान में मामला, 1998 के सिविल राइट याचिका संख्या 210 की बर्खास्तगी द्वारा दायर किया गया दावेदार को उसका अभियोजन नहीं कहा जा सकता है. आगे बर्खास्तगी लागत के साथ याचिका को सजा के रूप में लेबल या समझा नहीं जा सकता है न्यायालय के योगदान के लिए दावेदार. यह अब तक स्वीकार किया जाता है, ए के रूप में कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, कि जो पार्टियां कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आती हैं, उन्हें साफ हाथों से आना चाहिए. एक पार्टी का कारण पाया गया भौतिक तथ्यों के दमन या गलत बयानी का दोषी हो सकता है कार्यवाही के किसी भी चरण में न्यायालय द्वारा बाहर फेंक दिया जाए. द हमारे द्वारा लिया गया पूर्वोक्त दृश्य के निर्णय से समर्थन पाता है के मामले में सुप्रीम कोर्ट ***एस.पी. चेंगालवारया नायडू (मृत) एल द्वारा. रुपये.*** बनाम ***जगन्नाथ (मृत) एल द्वारा. रुपये। और अन्य (7)*** जिसमें कुलदीप सिंह, ***जे.*** न्यायालय के लिए बोलना, जैसा कि देखा गया है के तहत: —

"KULDIP SINGH, J .: —" धोखाधड़ी-सभी न्यायिक कृत्यों से
बचा जाता है, सनकी या लौकिक "मुख्य न्यायाधीश ने मनाया

न्यायालय अपने प्रस्ताव पर वी. कुलदीप सिंह307
(एस.एस. निज्जर, जे)

लगभग तीन शताब्दी पहले इंग्लैंड के एडवर्ड कोक. यह कानून का सुलझा हुआ प्रस्ताव है कि एक निर्णय या अदालत पर धोखाधड़ी खेलकर प्राप्त किया गया फरमान ए कानून की नजर में अशक्तता और गैर स्था. ऐसा निर्णय/ पहले अदालत या उच्चतम न्यायालय द्वारा डिक्री करना है हर अदालत द्वारा एक अशक्तता के रूप में माना जाता है, चाहे वह श्रेष्ठ हो या हीन. इसे किसी भी अदालत में भी चुनौती दी जा सकती है संपार्श्विक कार्यवाही.

उच्च न्यायालय, हमारे विचार में, पेटेंट त्रुटि में गिर गया. छोटा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या इस मामले के तथ्य और परिस्थितियां, जगन्नाथ ने प्राप्त की अदालत पर धोखाधड़ी खेलकर प्रारंभिक डिक्री. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने हायरवायर बनाया और बनाया अवलोकन जो पूरी तरह से विकृत हैं. हम नहीं उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि "कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है एक सच्चे मामले के साथ अदालत में आने के लिए वादी पर डाली और इसे सच्चे प्रमाण से साबित करें "". "अंतिम रूप का सिद्धांत मुकदमेबाजी "इस तरह की सीमा तक दबाया नहीं जा सकता एक गैरबराबरी कि यह धोखाधड़ी का एक इंजन बन जाता है बेईमान वादियों के हाथ. कानून की अदालतें हैं पार्टियों के बीच न्याय प्रदान करने के लिए. एक जो अदालत में आता है, उसे साफ हाथों से आना चाहिए यह कहने के लिए विवश हैं कि अधिक बार नहीं, प्रक्रिया अदालत का दुरुपयोग किया जा रहा है. संपत्ति हड़पने वाले, कर-चोरों, बैंक ऋण डोजर्स और अन्य बेईमान जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्ति अदालत की प्रक्रिया को पाते हैं सुविधाजनक लीवर अवैध रूप से लाभ को बनाए रखने के लिए. हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक व्यक्ति जिसका मामला है झूठ पर आधारित है, दृष्टिकोण करने का कोई अधिकार नहीं है कोर्ट. उसे किसी भी स्तर पर संक्षेप में बाहर निकाला जा सकता है मुकदमेबाजी का.

वर्तमान मामले के तथ्य संदेह का कोई तरीका नहीं छोड़ते हैं जगन्नाथ ने खेलकर प्रारंभिक फरमान प्राप्त किया अदालत पर धोखाधड़ी. धोखाधड़ी जानबूझकर किया गया कार्य है द्वारा कुछ हासिल करने के डिजाइन के साथ धोखा दूसरे का अनुचित लाभ उठाना. यह एक धोखा है दूसरे के नुकसान से लाभ पाने के

लिए. यह एक धोखा है एक लाभ प्राप्त करने का इरादा है. जगन्नाथ काम कर रहे थे

चुनिलाल सोवर के साथ एक क्लर्क के रूप में. उसने खरीदा चुन्नी लाइ की ओर से अदालत की नीलामी में संपत्ति Sowcar. उसने अपनी इच्छा से, निष्पादित किया था के पक्ष में पंजीकृत रिलीज डीड (एक्ज़िबिट बी -15) विवाद में संपत्ति के बारे में चुनिलाल सोवरकर. वह पता था कि अपीलकर्ताओं ने कुल डिक्रिप्टल का भुगतान किया था अपने गुरु चुनिलाल सोवर को राशि. बिना इन सभी तथ्यों का खुलासा करते हुए, उन्होंने विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया उस जमीन पर संपत्ति जो उसने खरीदी थी अपनी ओर से संपत्ति और की ओर से नहीं चुनिलाल सोवर. गैर-उत्पादन और यहां तक कि गैर-ट्रायल टैंटमाउंट में रिलीज विलेख का उल्लेख अदालत पर धोखाधड़ी करने के लिए. हम इससे सहमत नहीं हैं उच्च न्यायालय की टिप्पणियों कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी आसानी से प्रमाणित उत्पादन कर सकते थे प्रदर्शनी बी -15 की पंजीकृत प्रति और गैर-अनुकूल वादी. एक मुकदमेबाज, जो अदालत से संपर्क करता है, बाध्य है उसके द्वारा निष्पादित सभी दस्तावेजों का उत्पादन करने के लिए जो मुकदमेबाजी के लिए प्रासंगिक हैं. यदि वह एक महत्वपूर्ण है दूसरी तरफ लाभ प्राप्त करने के लिए दस्तावेज़ वह अदालत पर धोखाधड़ी खेलने का दोषी होगा साथ ही विपरीत पार्टी पर".

(25)हमारा विचार है कि ये टिप्पणियां पूरी तरह से हैं वर्तमान मामले में लागू है.

(26)डिवीजन बेंच इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर न्याय के पाठ्यक्रम को हटाने की कोशिश की है, रु। की लागत के साथ 1998 की सिविल राइट याचिका संख्या 210 को खारिज कर दिया. 20,000. रुपये की लागत का आरोपण। 20,000 को रिकॉर्ड पर रखना था बेंच की नाराजगी "याचिकाकर्ता के निंदनीय आचरण". रिट याचिका को खारिज करने के बाद, बेंच ने दिखाने के लिए नोटिस जारी किया याचिकाकर्ता को प्रतिबद्ध होने के लिए दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए इस न्यायालय की अवमानना. ऐसी परिस्थितियों में, अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करना संविधान के अनुच्छेद 20 (2) का उल्लंघन नहीं करेगा भारत.

(27)सुप्रीम कोर्ट ने गुंजाइश और महत्वाकांक्षी पर विचार किया है थॉमस दाना के मामले में भारत के संविधान के आर्टफेकल 20 (Supra). सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मामले से निपट रहा था जहां

न्यायालय अपने प्रस्ताव पर वी. कुदीप सिंह309
(एस.एस. निज्जर, जे)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और भूमि सीमा शुल्क के कलेक्टर ने एक आदेश पारित किया था याचिकाकर्ताओं के खिलाफ और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि याचिकाकर्ताओं ने भारतीय और विदेशी मुद्रा की तस्करी करने की योजना बनाई थी भारत, कानून के उल्लंघन में. उन्होंने उस अलग को निर्देशित किया था मुद्रा के प्रकार जो कब्जे से जब्त किए गए थे याचिकाकर्ता, धारा 8 के उल्लंघन के लिए "बिल्कुल जब्त" हो सकते हैं (2) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा के साथ पढ़ा गया अधिनियम के 23-ए और 23-बी। से संबंधित विभिन्न अन्य वस्तुएं याचिकाकर्ताओं को भी जब्त करने का निर्देश दिया गया था. कलेक्टर भी रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया। याचिकाकर्ताओं में से प्रत्येक पर 25,00,000, सागर सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 167 (8) के तहत। याचिकाकर्ता थे मुकदमा भी चलाया, दोषी ठहराया और दो साल की सजा सुनाई धारा 23-ए के तहत कारावास विदेशी की धारा 23-बी के साथ पढ़ा जाता है विनिमय विनियमन अधिनियम, छह महीने के तहत कठोर कारावास भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी. के खिलाफ अपील सजा और सजा खारिज कर दी गई. संशोधन याचिकाएं दायर की गईं इससे पहले कि इस न्यायालय को भी माननीय प्रमुख द्वारा संक्षेप में खारिज कर दिया गया था न्याय. इसलिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया. यह था याचिकाकर्ताओं की ओर से सख्ती से तर्क दिया गया कि पूर्वोक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ताओं का अभियोजन; उनके नीचे न्यायालयों द्वारा सजा और सजा संरक्षण का उल्लंघन करती है संविधान के अनुच्छेद 20 (2) में निहित दोहरे खतरे के खिलाफ भारत का. के रूप में आयोजित निर्णय के पैरा 9 में सर्वोच्च न्यायालय: —

> "यह प्रकट है कि कला के निषेध के भीतर याचिकाकर्ता के मामले को लाने के लिए। 20 (2), इसे दिखाया जाना चाहिए कलेक्टर के समक्ष उन्हें "अभियुक्त" किया गया था सीमा शुल्क, और "एक ही अपराध" के लिए उसके द्वारा "दंडित" जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया और दंडित किया गया नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णय और आदेशों के परिणामस्वरूप, अब लगाया गया. यदि इन तीनों में से कोई एक आवश्यक है शर्तें पूरी नहीं होती हैं, यह कहना है, अगर यह नहीं दिखाया गया है याचिकाकर्ताओं को इससे पहले "अभियुक्त" किया गया था सीमा शुल्क के कलेक्टर, या कि उन्हें "दंडित" किया गया था" उसके सामने कार्यवाही में, जिसके परिणामस्वरूप पूर्वोक्त संपत्तियों की जब्ती, और रुपये का भारी जुर्माना लगाया। 25,00,000, प्रत्येक या कि उन्हें दोषी ठहराया गया था और इसके लिए "वाक्य" दिया गया था "वही अपराध", याचिकाकर्ता लाने में विफल रहे होंगे

कला के निषेध के भीतर उनका मामला. 20 (2)

"व्हार्टन के लॉ लेक्सिकन" के अनुसार 14 वां संस्करण।, पी। 810, "अभियोजन" का अर्थ है "आपराधिक अदालतों में, अभियोग या सूचना के माध्यम से या तो कार्यवाही उसके मुकदमे में अपराधी डालने का आदेश. सभी अपराधी में अभियोजन राजा सामान्य रूप से अभियोजक है "". इस इस मामले में इस न्यायालय द्वारा बहुत प्रश्न पर चर्चा की गई थी का **मकबूल हुसैन** *बनाम* **बॉम्बे राज्य,** 1953 SCR 730 pp.738, 739, 743 पर: (AIR 1953 SC 325 पीपी पर. 328, 329, 330), उस संदर्भ के संदर्भ में जिसमें शब्द "अभियोजन" कला में हुआ.
20 ,

(28)कानून का उपरोक्त अनुपात यह स्पष्ट करता है कि रिट याचिका को खारिज करने से अनुच्छेद के तहत बार आकर्षित नहीं होगा की अवमानना के लिए कार्यवाही के लिए भारत के संविधान के 20 (2) कोर्ट. जैसा कि ऊपर देखा गया है, उसी नियम को दोहराया गया है सुप्रीम कोर्ट में एल.आर. मेलवानी का मामला (सुपर). के पैरा 7 में पूर्वोक्त मामला, इसे निम्न के रूप में देखा जाता है: —

"ताकि धारा का लाभ मिल सके

403, आपराधिक प्रक्रिया संहिता या अनुच्छेद 20 (2), यह है एक आरोपी व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह स्थापित करे "सक्षम न्यायालय के न्यायालय" द्वारा कोशिश की गई थी" एक अपराध के लिए और वह दोषी है या उससे बरी है अपराध और उक्त सजा या बरी होना है ब ल 7 ,

(29)वर्तमान मामले में, यह याचिकाकर्ता था जिसने दायर किया था आदेशों को खारिज करने वाले सर्टिफिकेट की रिट की मांग करने वाली याचिका अनुलग्नक पी -2 और पी -3. इस रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था याचिकाकर्ता के रूप में डिवीजन बेंच साफ हाथों से कोर्ट नहीं आई थी. उन्होंने 9 जनवरी, 1998 के आदेश के प्रक्षेप द्वारा अनुमति दी थी, खुद को अंतरिम राहत जो डिवीजन द्वारा प्रदान नहीं की गई थी बेंच. उन्होंने खुद को वसूली के रहने का एक अंतरिम आदेश बनाया था. यह याचिकाकर्ता का निंदनीय आचरण था जिसके कारण रुपये की लागत के साथ रिट याचिका की बर्खास्तगी. 20,000. वह निर्णय इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योंकि यह कानून के अनुपात के अनुरूप है सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीचे **एस.पी. चेंगालवारया नायडू का मामला**

(Supra). यह वह दावेदार था जो रिट याचिका पर मुकदमा चला रहा था. न तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था और न ही कोई सजा एक सफल अभियोजन के आधार पर उस पर लगाया गया था. हम, इसलिए, सीखे हुए वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए सबमिशन में कोई योग्यता नहीं पाएं निहित बार की प्रयोज्यता के संबंध में दावेदार के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (2) में, वर्तमान कार्यवाही के लिए.

(३०) दावेदार के लिए सीखे गए वकील ने तब तर्क दिया था वर्तमान कार्यवाही निर्धारित सीमा की अवधि से परे है अधिनियम की धारा 20 के तहत। यहाँ फिर से, मामला पूरी तरह से हो गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बसाया गया और आगे किसी तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है. सीमा का मुद्दा पहले स्पष्ट रूप से उठाया गया था पल्लव शेथ मामले (सुप्रा) में माननीय सुप्रीम कोर्ट. निर्णय ओम पार्काश जायसवाल के मामले (सुप्रा), पर बहुत भरोसा किया दावेदार के लिए सीखा वकील, माननीय द्वारा भी विचार किया गया था पल्लव शेथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट, जिसमें माननीय सुप्रीम न्यायालय इस प्रकार है: —

> 39. अधीनस्थ न्यायालय की आपराधिक अवमानना के मामले में, उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा या उसके द्वारा किए गए प्रस्ताव पर किए गए संदर्भ पर कार्रवाई कर सकता है महाधिवक्ता या केंद्रीय के विधि अधिकारी केंद्र शासित प्रदेश के मामले में सरकार. इस संदर्भ या गति एक पर शुरू हो सकती है आवेदन एक व्यक्ति द्वारा दायर किया जा रहा है जिसके पास है अधीनस्थ न्यायालय या महाधिवक्ता यदि ऐसा है संतुष्ट इस मामले को उच्च न्यायालय में भेज सकते हैं. नागरिक अवमानना के लिए कार्यवाही सामान्य रूप से शुरू होती है एक व्यक्ति ने अदालत के नोटिस पर लाने पर दुख जताया किसी भी निर्णय, डिक्री, आदेश की दृढ़ अवज्ञा आदि जो अपराध के कमीशन के लिए राशि हो सकती है. न्यायालय का ध्यान इस तरह की अवमानना की ओर आकर्षित होता है केवल एक आवेदन दाखिल करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिबद्ध किया जा रहा है उस ओर से. दूसरे शब्दों में, जब तक कि एक न्यायालय नहीं था लेना *सू मोटू* कार्रवाई, के तहत कार्यवाही न्यायालयों का अधिनियम, 1971 सामान्य रूप से शुरू होगा ध्यान के लिए एक आवेदन ड्राइंग के दाखिल के साथ अवमानना करने के लिए न्यायालय की. कब न्यायिक प्रक्रिया के लिए एक आवेदन की आवश्यकता होती है

न्यायालय के समक्ष दायर किया जा रहा है या सहमति दी जा रही है

एडवोकेट जनरल या एक कानून से एक व्यक्ति द्वारा मांगी गई
अधिकारी, इसके लिए तार्किक रूप से उस कार्यवाही का पालन
करना चाहिए
.जब आवेदन किए जाते हैं तो .contempt शुरू किया जाता है.

40. दूसरे शब्दों में, निर्धारित कार्रवाई की शुरुआत धारा के तहत आपराधिक अवमानना का संज्ञान लेने के लिए 15 अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करेगा और उसके बाद की कार्रवाई से इनकार कर दिया या उसके बाद नोटिस या सजा जारी करना केवल इस तरह की दीक्षा के बाद या सफल होने वाले कदम. इसी तरह, एक आवेदन के नागरिक अवमानना दाखिल करने के मामले में न्यायालय का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है न्यायालयों के अधिनियम, 1971 के तहत आगे उठाए जाने वाले कदम.

41, सीमा के कानून में अंतर्निहित सिद्धांतों में से एक यह है कि एक मुकदमेबाज को लगन से काम करना चाहिए और नींद नहीं लेनी चाहिए इसके अधिकार. इस पृष्ठभूमि में, ऐसी व्याख्या अधिनियम की धारा 20 पर रखा जाना चाहिए जो करता है एक विषम परिणाम के लिए नेतृत्व नहीं करने के लिए कठिनाई का कारण पार्टी जिसने शायद पूरी लगन के साथ काम किया हो और न्यायालय की ओर से निष्क्रियता के कारण, ए पीड़ित को नहीं बनाया जा सकता है. व्याख्या करना जिस तरीके से कैनवस किया गया है, उसमें सेक्शन श्री वेनुगोपाल का मतलब होगा कि न्यायालय होगा भले ही यह दंडित किया जा सकता है शक्तिहीन एक अवमानना की प्रकृति के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त प्रतिबद्ध है और वही रहा है के तुरंत बाद न्यायालय के नोटिस पर लाया गया अवमानना और एक की अवधि के भीतर उसी का वर्ष. इसलिए धारा 20 को होना चाहिए एक तरीके से माना जाता है जो इस तरह से बचना होगा विसंगति और कठिनाई दोनों के रूप में मुकदमेबाजी के संबंध में के हिस्से पर एक व्यर्थ भ्रूण रखकर भी अपनी अवमानना के लिए दंडित करने के लिए न्यायालय. की व्याख्या धारा 20, अपीलकर्ता द्वारा रद्द किए गए की तरह, जो संवैधानिक शक्ति को प्रस्तुत करेगा यहां तक कि अवमानना के लिए कार्रवाई करने में न्यायालय ने कार्रवाई की सकल अवमानना

के मामले, सफलतापूर्वक एक अवधि के लिए छिपे हुए हैं एक वर्ष के दावेदार द्वारा धोखाधड़ी का अभ्यास करके

धारा 20 को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है अनुच्छेद 129 और / या अनुच्छेद 215 के साथ संघर्ष. ऐसा कठोर इसलिए व्याख्या से बचना चाहिए.

42. ओम पार्काश जायसवाल के मामले (सुप्रा) में निर्णय प्रभाव जो धारा के तहत कार्यवाही शुरू करता है 20 को केवल तभी कहा जा सकता है जब न्यायालय का गठन किया *प्रथम दृष्टया* राय है कि अवमानना की गई है प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध और जारी किए गए नोटिस इसे दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए, बहुत संकीर्ण है धारा 20 का दृश्य जो वारंट नहीं लगता है और न केवल कठिनाई पैदा करने वाला है बल्कि होगा अन्याय को समाप्त करना. धारा 20 जैसा प्रावधान करना है की वास्तविकताओं के संबंध में व्याख्या की जाए situtation. उदाहरण के लिए, ऐसे मामले में जहां अवमानना की जाती है एक अधीनस्थ अदालत प्रतिबद्ध है, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है चाहे अदालत में आवेदन पर या अन्यथा, और अधीनस्थ अदालत द्वारा उच्च के लिए किए गए संदर्भ कोर्ट. इसके बाद ही एक उच्च न्यायालय ले सकता है धारा 15 के तहत आगे की कार्रवाई. प्रक्रिया में, अधिक अक्सर ऐसा नहीं होता है, एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है. अगर ओम पार्कश जैस्वाल की धारा 20 की व्याख्या मामला (सुप्रा) सही है, इसका मतलब यह होगा कि अधीनस्थ न्यायालय और दोनों के बावजूद उच्च न्यायालय जा रहा है *प्रथम दृष्टया* संतुष्ट है कि अवमानना प्रतिबद्ध है, उच्च न्यायालय बन जाएगा कोई कार्रवाई करने के लिए शक्तिहीन. दूसरी ओर, यदि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन दाखिल करना या एक अधीनस्थ द्वारा एक संदर्भ बनाने वाला उच्च न्यायालय अदालत अपने स्वयं के प्रस्ताव या एक आवेदन दाखिल करने पर आरंभ करने की अनुमति के लिए एक महाधिवक्ता से पहले अवमानना कार्यवाही को दीक्षा के रूप में माना जाता है धारा 20 के प्रयोजनों के लिए अदालत, फिर ऐसा ए व्याख्या पर रोक नहीं लगाई जाएगी या इस पर रोक नहीं लगाई जाएगी उच्च न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति पावर, डे हॉर्स द कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट्स एक्ट, 1971 है संविधान के अनुच्छेद 215 में निहित है. ऐसा ए धारा 20 की व्याख्या से सामंजस्य होगा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अवमानना के लिए न्यायालयों की शक्तियों के साथ धारा.

43. पंजाब की एक पूर्ण बेंच से पहले एक सवाल उठा और के मामले में हरियाणा उच्च न्यायालय **मंजीत सिंह और अन्य** *बनाम* **दर्शन सिंह और अन्य** (1984 Crl. एल.जे. 301) धारा के आवेदन के लिए पीछे 20 आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के लिए. आने के बाद इस निष्कर्ष पर कि धारा 20 की भाषा पर वह समय जब चलना शुरू होता है, उससे तय किया जाता है जिस पर आपराधिक अवमानना का आरोप लगाया गया है है प्रतिबद्ध था कि अदालत को समाप्ति का फैसला करना था बिंदु या टर्मिनस विज्ञापन *quern* अधिनियम की धारा 20 के तहत सीमा के लिए। चार संभावनाएं जो गिर गईं इस संबंध में विचार (i) वह तिथि थी जिस पर अवमानना की वास्तविक सूचना न्यायालय द्वारा जारी की जाती है; (ii) वह तिथि जिस पर महाधिवक्ता चलता है धारा 15 (1) (ए) के तहत प्रस्ताव; (iii) वह तिथि जिस पर एक अधीनस्थ न्यायालय अधिनियम की धारा १५ (२) के तहत आपराधिक अवमानना का संदर्भ देता है और, (iv) ए वह तिथि जिस पर कोई अन्य व्यक्ति आवेदन करना पसंद करता है महाधिवक्ता को • धारा के तहत उसकी सहमति के लिए अधिनियम के 15 (1) (बी)। राज्य की ओर से विवाद से पहले उठाया गया **पूर्ण** बेंच वह थी एकमात्र *टर्मिनस विज्ञापन क्वर्न* वास्तविक की तारीख थी अदालत द्वारा आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी करना और इस ओर निर्भरता थी *interalia* पर रखा इस न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय में **Baradakanta मिश्रा का मामला.** पूर्ण बेंच, हमारी राय में, सही है इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एकमात्र प्रश्न जो में विचार के लिए उठी **बारादकांत मिश्रा का मामला** अधिनियम की धारा 19 की व्याख्या से संबंधित है और धारा 20 की व्याख्या या आवेदन करने का कोई सवाल ही नहीं था. लॉर्ड हैल्सबरी के हुक्म के बादमें **क्विन** *बनाम* **लेथर्न [1901** एसी 4951 कि एक मामला केवल एक प्राधिकरण है जो वास्तव में यह तय करता है और एक प्रस्ताव के लिए उद्धृत नहीं किया जा सकता है जो भी लग सकता है तार्किक रूप से, पूर्ण बेंच का सही ढंग से पालन करने के लिए देखा कि **बारादकांत मिश्रा का मामला** नहीं था प्रस्ताव के लिए वारंट कि नोटिस जारी करना उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अवमानना एकमात्र है *टर्मिनस विज्ञापन क्वर्न* के तहत सीमा का निर्धारण करने के लिए अधिनियम की धारा 20 ""।

(31)कानून की पूर्वोक्त घोषणा इसे लाजिमी बना देती है स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में कार्यवाही शुरू की गई थी 13 जुलाई, 1998 को लिखित बयान दाखिल करना. यह विवादित नहीं है कि दावेदार ने 9 वीं तारीख को प्रक्षेपित आदेश का उत्पादन किया था 21 फरवरी, 1998 को अधिकारियों के समक्ष जनवरी, 1998. स्पष्ट रूप से, इसलिए, कार्यवाही निर्धारित अवधि के भीतर शुरू की गई थी अधिनियम की धारा 20 के तहत। इसके अलावा, हम विचार के हैं राय है कि अधिनियम की धारा 20 के तहत प्रदान की गई सीमा होगी के तहत उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर लागू नहीं होना चाहिए भारत के संविधान का अनुच्छेद २१५. अनुच्छेद 215 के तहत शक्तियां संविधान को अप्रमाणित और सीमा तक रखा गया है अधिनियम की धारा 20 के तहत प्रदान किया गया लागू नहीं होगा. इसलिए, अधिनियम की धारा 20 के तहत वर्ष की अवधि एक बार नहीं हो सकती है अभ्यास में उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए भारत के निर्माण के अनुच्छेद 215 के तहत इसकी शक्तियां. स्वीकार कर रहे हैं इस तरह की व्याख्या का मतलब होगा कि उच्च न्यायालय होगा न्यायालय की अवमानना के लिए किसी भी कार्यवाही को शुरू करने में असहाय जो किसी भी तरह से उच्च से छुपाने का प्रबंधन करता है अवमानना होने पर तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए न्यायालय प्रतिबद्ध. यह कानून का एक सुलझा हुआ प्रस्ताव है कि "प्रतियोगी को अपनी अवमानना के फल का आनंद लेने और / या बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए". इस सिद्धांत को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है का मामला ***Illohd. Indris*** बनाम ***आर. जे. बाबूजी, (8).*** **यह** द्वारा दोहराया गया था के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट **दिल्ली विकास प्राधिकरण** बनाम **स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पी) लिमिटेड और एक और** (९), निर्णय के अनुच्छेद २१ में इसे आयोजित किया जाता है इस प्रकार है

> "21. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सलामी नियम को होना चाहिए यदि आवश्यक हो, तो इस न्यायालय द्वारा लागू और दिया गया प्रभाव, किसी भी प्रक्रियात्मक या अन्य तकनीकी को ओवरराइड करके आपत्तियों. अनुच्छेद 129 एक संवैधानिक शक्ति है और जब व्यायाम किया जाता है *अग्रानुक्रम* अनुच्छेद 142 के साथ, ऐसा सब आपत्तियों को दूर करना चाहिए. न्यायालय को इससे पहले पार्टियों के बीच पूर्ण न्याय सुनिश्चित करना चाहिए "".

(8)आकाशवाणी 1984 एससी 1826
(9)AIR 1996 SC 2005

(32)भारत के संविधान का अनुच्छेद 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड की अदालत होगी और उसके पास सभी शक्तियां होंगी

ऐसी अदालत जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति शामिल है. यह अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के समान है प्रत्येक उच्च न्यायालय को रिकॉर्ड का न्यायालय बनाता है और सभी शक्तियों को अनुदान देता है ऐसी अदालत जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति शामिल है. डिवीजन बेंच ने वर्तमान कार्यवाही का अभ्यास करते हुए अभ्यास किया भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत शक्तियां. इनके लिए अतिरिक्त कारण, हम मानते हैं कि कार्यवाही के खिलाफ पहल की गई दावेदार किसी भी कानूनी या तथ्यात्मक बार से पीड़ित नहीं हैं. का दायरा अनुच्छेद 129 और उच्च के तहत सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत न्यायालय था के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया ***प्रितम पाल*** बनाम ***मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, रजिस्ट्रार के माध्यम से जबलपुर (10).*** इस निर्णय में, इसे निम्न के रूप में आयोजित किया गया है: —

> "22. इस न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक घोषणाओं से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति न्यायालयों का रिकॉर्ड है क्रमशः लेख 129 और 215 के तहत सन्निहित किसी भी सामान्य द्वारा प्रतिबंधित और ट्रामेल नहीं किया जा सकता है के प्रावधानों सहित कानून न्यायालय अधिनियम और उनकी अंतर्निहित शक्ति लोचदार, अनफ़िट है और किसी सीमा के अधीन नहीं है

(३३) इंग्लैंड और कानूनी स्थिति पर चर्चा करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार है: —

> "“कानून की स्थिति जो उपरोक्त निर्णयों से उभरती है यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में शक्ति प्रदान की जाती है और उच्च न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तहत संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 क्रमशः हैं एक अंतर्निहित शक्ति और यह कि अधिकार क्षेत्र निहित है एक विशेष किसी अन्य क़ानून से वंचित नहीं है लेकिन केवल अनुच्छेद 129 और 215 से प्राप्त किया गया है भारत का संविधान [देखें डी. एन. Taneja *बनाम* Bliajan लाइ, 1988 (2) एससीसी 26] और इसलिए संवैधानिक रूप से निहित अधिकार किसी भी कानून द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है या निरस्त या काट दिया गया. न ही उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है या किसी भी क़ानून या किसी प्रावधान द्वारा सीमित आपराधिक प्रक्रिया संहिता या कोई नियम. सावधानी

(१०) १ ९९ २ (२) एसएलआर १६ <टीएजी १> (एआईआर १ ९९ २ एससी ९ ०४)

इस अंतर्निहित अभ्यास में देखा जाना चाहिए सारांश प्रक्रिया द्वारा शक्ति यह है कि शक्ति चाहिए संयम से इस्तेमाल किया जाए, कि प्रक्रिया निम्नानुसार हो निष्पक्ष होना चाहिए और यह कि दावेदार बनाया जाना चाहिए उसके खिलाफ आरोप के बारे में पता है और एक उचित दिया खुद का बचाव करने का अवसर ''.

(३४) हम पूर्वोक्त टिप्पणियों के प्रति पूरी तरह सचेत हैं सुप्रीम कोर्ट. यह कोई संदेह नहीं है, यह सच है कि उच्च न्यायालय की शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत प्रकृति में सारांश है बहुत सावधानी और सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना है. ये शक्तियां होनी हैं न्याय की धारा की मासूमियत और पवित्रता बनाए रखने के लिए अभ्यास किया. यह अतिसूक्ष्म है कि शक्ति अधिक से अधिक है, में सावधानी अधिक है उसके बाद व्यायाम करें. इसलिए, हमने बहुत सतर्क दृष्टिकोण अपनाया है इन कार्यवाहियों के दौरान. हमने याचिकाकर्ता को हर दिया है अवसर और स्वतंत्रता उसके मामले को प्रोजेक्ट करने के लिए. हम विचार के हैं राय है कि इस न्यायालय द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर रोक नहीं है अधिनियम की धारा 20 के तहत निर्धारित सीमा.

(३५) दावेदार के लिए सीखे गए वकील ने भी तर्क दिया था क्षतिपूर्ति करने वाले द्वारा किए गए जालसाजी का कोई प्रमाण नहीं है. इस तरह की दलील देने के लिए दावेदार को दिन में बहुत देर हो चुकी होती है. एक अनुज्ञा डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश 10 जनवरी, 2000 को दिनांकित किया गया स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह बेंच से पहले विवादित नहीं था कि याचिकाकर्ता ने प्राप्त आदेश की प्रमाणित प्रति को प्रक्षेपित किया था इस न्यायालय ने कहा कि शब्द "और रहने की अनुमति दी" जब नहीं इस तरह का आदेश, वास्तव में, इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया था. विवादित नहीं होना 10 जनवरी, 2000 को डिवीजन बेंच से पहले पूर्वोक्त स्थिति, दावेदार को यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि इसका कोई प्रमाण नहीं है जालसाजी या प्रक्षेप. इसके अलावा भी, घटनाओं का क्रम जैसा कि निर्णय के पहले भाग में सुनाया गया है, वह इसे बनाएगा बहुतायत से स्पष्ट है कि दावेदार एकमात्र पार्टी थी जिसे हासिल करना था 9 तारीख के आदेश में "और रहने की अनुमति" शब्द का प्रक्षेप जनवरी, 1998. इसके अलावा, प्रक्षेपित के रूप में आदेश का एक अनुमान स्पष्ट रूप से पता चलता है कि शब्द "और दिए गए रहें" को शामिल किया गया है 9 जनवरी, 1998 के आदेश में, जो इस प्रकार है: -

"16 फरवरी, 1998 के लिए गति की सूचना"।-

(३६) अधिकारियों के आदेश से पहले निर्मित दावेदार जो पढ़ता है :

"16 फरवरी, 1998 को गति और रहने की सूचना".

(३ () प्रक्षेपित आदेश का कोई मतलब नहीं है. एक अनुमान से उत्तरदाताओं द्वारा उत्पादित प्रक्षेपित आदेश, यह स्पष्ट हो जाता है शब्द "और दिए गए" को एक अलग द्वारा टाइप किया गया है टाइपराइटर. जोड़े गए शब्दों के बाद एक पूर्ण विराम है "और रहें मंजूर". इसके बाद की तारीख "16 फरवरी, 1998" दिखाई देती है मूल आदेश का हिस्सा है. इसलिए, हमारे पास संदेह का कोई तरीका नहीं है मूल आदेश को प्रक्षेपित किया गया है. का आचरण कार्यवाही के दौरान दावेदार भी बोलता है. के बाद 9 जनवरी, 1998 को आदेश पारित किया गया था, अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल 17 वीं फरवरी, 1998 को प्रतिवादी नोस के लिए कोर्ट में पेश हुए. 1, 2 और 7. उत्तरदाता संख्या 3 से 6 ने अपना लिखित बयान दर्ज किया 13 जुलाई, 1998. इन उत्तरदाताओं ने, जैसा कि पहले देखा गया था, अवमानना को न्यायालय के नोटिस में लाया. इसके बाद दावेदार ने लिया कई स्थगन जो पहले भाग में भी देखे गए हैं निर्णय का. इस प्रकार, यह मामला 10 जनवरी तक लंबित रहा, 2000. इस बीच, दावेदार को मनाने की कोशिश कर रहा था उत्तरदाता के लिए वकील। 3 से 6 यदि कोई आपत्ति नहीं उठाता है याचिकाकर्ता द्वारा याचिका वापस ले ली गई. ये तथ्य रहे हैं आपराधिक विविध में न्यायालय के नोटिस पर लाया गया। 2000 की संख्या 12993 श्री आशा नंद शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी सं। 3 से दायर 6. यह आवेदन डिवीजन बेंच के निर्देशों पर दायर किया गया था 5 मई, 2000 को सुनवाई के समय दिया गया. आरोपों को एक हलफनामे द्वारा विधिवत समर्थन किया जाता है. दावेदार ने धमकी भी दी एडवोकेट आशा नंद शर्मा, जिन्हें भी लाया गया था डिवीजन बेंच की सूचना. संज्ञा का आचरण सुनाया गया ऊपर, यह उचित संदेह से परे स्पष्ट करता है कि दावेदार के पास है जानबूझकर न्याय के पाठ्यक्रम को पलटने की कोशिश की. का निर्माण उच्च न्यायालय का आदेश किसी के तहत न्यायालय की स्पष्ट अवमानना है अधिकार क्षेत्र. राम के मामले में ***ऑटार शुक्ला*** बनाम ***अरविंद शुक्ला, (1 1)*** निर्णय के पैरा 7 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रूप में: —

> "अन्याय के दौरान कोई हस्तक्षेप, किसी भी बाधा के कारण न्याय चाहने वालों के मार्ग में एक समानता है कानून की महिमा और, इसलिए, आचरण दंडनीय है अदालत की अवमानना. अवमानना का कानून कई में से केवल एक है जिन तरीकों से कानून की उचित प्रक्रिया को रोका जाता है कारण को आगे बढ़ाने के लिए विकृत, बाधित या विफल होना अन्याय. कारण अन्याय का कोर्स साधन केवल कोई विशेष नहीं

(११) १ ९९ ५ सप। (२) एस.सी.सी. 130

कार्यवाही लेकिन न्याय प्रशासन की व्यापक धारा. इसलिए, धारा 2 (सी) या में प्रयुक्त न्याय के कारण अधिनियम की धारा 13 व्यापक आयात की है और सीमित नहीं है किसी विशेष न्यायिक कार्यवाही के लिए. बहुत अधिक व्यापक जब यह न्यायालय अभ्यास करता है *सू मोटू* अनुच्छेद के तहत शक्ति संविधान का 129. मुकदमेबाजी या गवाहों को पार्टियों के कृत्यों या आचरण से कानून की उचित प्रक्रिया को निमिष किया जाता है जो मुक्त करने या कम करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है का प्रवाह के न्याय की अशांत धारा का सहारा लेते हुए, अशुद्धता के साथ, अदालत की कार्यवाही को विफल करने के लिए विवाद और उसके परिणामी अंत का निष्पक्ष निर्णय. यदि अधिनियम के साथ काफी हस्तक्षेप की शिकायत या करने के लिए जाता है न्याय प्रशासन की व्यापक धारा में हस्तक्षेप, यह अधिनियम के तहत दंडनीय होगा। अगर अधिनियम ने शिकायत की अदालत की प्रतिष्ठा को कमजोर करता है या बाधा का कारण बनता है न्याय के नियत समय के निर्वहन में या बाधा डालने के लिए जाता है न्याय के पाठ्यक्रम या न्याय के कारण हस्तक्षेप, यह पर्याप्त है कि जिस आचरण की शिकायत की गई है, वह अदालत की अवमानना करता है और उसके अनुसार निपटा जा सकता है अधिनियम के साथ। यह तेजी से एक प्रवृत्ति बन गई है पार्टियों का हिस्सा या तो मनगढ़ंत साक्ष्य का उत्पादन करने के लिए अदालत के रिकॉर्ड को गढ़ने के लिए याचिका या रिकॉर्ड का एक हिस्सा न्याय के पाठ्यक्रम को वापस लेने या बाधित करने के लिए या में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए न्यायिक कार्यवाही के न्यायिक प्रक्रिया. यह न्याय के नियत पाठ्यक्रम में बाधा डालने की प्रवृत्ति है या अदालत की गरिमा को कम करने की प्रवृत्ति की जरूरत है समान व्यक्तियों को रोकने के लिए गंभीर रूप से निपटा जाना चाहिए इस तरह के कृत्यों या आचरण का सहारा लेने की संभावना. एक उपयुक्त में मामला, मेन्स री स्पष्ट नहीं हो सकता है या अस्पष्ट हो सकता है लेकिन यदि अधिनियम या आचरण की गरिमा को कम करने के लिए जाता है के कोर्ट या पार्टी को पूर्वाग्रह या प्रतिबाधा या देय में बाधा न्यायिक कार्यवाही या न्याय का प्रशासन, यह अदालत की अवमानना होगी. के कार्य अदालत की कार्यवाही को गढ़ने में प्रतिवादी 9 जून, 1992 को दिनांकित होने के लिए, खुद को होने के लिए प्रतिरूपण करना याचिकाकर्ता और अदालत की मनगढ़ंत प्रति का उत्पादन स्कूलों के जिला निरीक्षक के कार्यालय में कार्यवाही इस प्रकार अदालत की

अवमानना होती है. यह हस्तक्षेप करने के लिए गया था अनुचित लाभ के लिए कानूनी कार्यवाही में न्याय के पाठ्यक्रम के साथ

याचिकाकर्ता पर लाभ और उतना निर्दोष नहीं है प्रतिवादी द्वारा होने का नाटक किया. आगे जैसा हमारे पास है पहले से ही माना जाता है कि वह अकेले ही निर्माण करके लाभ प्राप्त करने के लिए खड़ा है अदालती कार्यवाही और अधिकारियों के समक्ष इसका उत्पादन स्कूल के प्रबंधक के रूप में उनकी निरंतरता के लिए, उनके पास था अदालत के निर्माण के लिए आवश्यक एनिमस या मेन्स री कार्यवाही ने खुद को याचिकाकर्ता माना और स्कूलों के जिला निरीक्षक के कार्यालय में इसका उत्पादन किया. जिससे उन्होंने अदालत की अवमानना की "".

(38)हम पूर्वोक्त विचार के हैं सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां तथ्यों पर पूरी तरह लागू होती हैं और इस मामले की परिस्थितियाँ.

(39)श्री गुप्ता ने टिप्पणियों पर सही भरोसा किया था जिसका उल्लेख निर्णय के पहले भाग में किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा समान प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है का मामला ***चंद्र शशि*** बनाम ***अनिल कुमार वर्मा, (12)*** में निर्णय के पैराग्राफ 10, इसे निम्न के रूप में आयोजित किया जाता है: —

"अवमानना पर मानक पाठ पुस्तकों का संदर्भ, बुद्धि के लिए, सी.जे. मिलर की अदालत की अवमानना; ओसवाल्ड; "कोर्ट की अवमानना"। और एंथनी अर्लीज और डेविड एडी की "द कंटेम्प्ट का कानून "जो है उसे सहन करेगा ऊपर कहा गया है; और अगर एक जाली और गढ़ा हुआ है दस्तावेज़ दायर किया गया है, वही हस्तक्षेप की राशि हो सकती है न्याय प्रशासन के साथ. संभोग के लिए, अधिनियम के लिए इस रंग को लेने के लिए एक तत्व होना आवश्यक है छल या बयान का ज्ञान जाली है या गढ़ा हुआ. यह वही है जो पृष्ठ 399 पर मिलता है 201 (दूसरा एडन।); पृष्ठ 62 (1993 पुनर्मुद्रण): और पृष्ठ 186 पूर्वोक्त ग्रंथ के क्रमशः 1.88 (1992 एडन)".

(40)फैसले के शुरुआती हिस्से में सुप्रीम कोर्ट पूर्वोक्त इस प्रकार है: —

"हंसारिया, जे.

1. न्याय प्रशासन की धारा को बने रहना है अनियंत्रित ताकि अदालत के माहौल की शुद्धता हो सके

राज्य के सभी अंगों को जीवन शक्ति दें. के प्रदूषक इसलिए, न्यायिक फर्म अच्छी तरह से आवश्यक हैं अदालत की उच्चता बनाए रखने के लिए ध्यान रखा गया वातावरण; इसलिए इसे न्याय प्रदान करने में सक्षम बनाना निष्पक्ष रूप से और सभी संबंधितों की संतुष्टि के लिए.

2. जो कोई भी धोखाधड़ी का सहारा लेता है, वह पाठ्यक्रम की अवहेलना करता है न्यायिक कार्यवाही की; या अगर कुछ भी किया जाता है तिरछा मकसद, वही के साथ हस्तक्षेप करता है न्याय का प्रशासन. ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है न केवल उन्हें गलत तरीके से दंडित करने के लिए, बल्कि दूसरों को भी लिप्त होने से रोकने के लिए उचित तरीके से निपटा जाए इसी तरह के कार्य जो लोगों के विश्वास को हिलाते हैं न्याय के प्रशासन की प्रणाली "".

(41)पूर्वोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, हमारे पास कोई नहीं है यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता ने घोर अवमानना की है न्यायालय का.

(42)मामला होने के बाद पूर्ण वीमेन्स के साथ तर्क दिया और लंबाई में, दावेदार के लिए सीखा वकील ने एक प्रार्थना की माफी के लिखित बयान के पैरा 5 में निविदा शो कारण नोटिस का जवाब, स्वीकार किया जाए. हम स्वीकार करने में असमर्थ हैं दावेदार के लिए सीखा वकील की यह प्रस्तुति. चंद्र में शशि का मामला (सुप्रा), सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की स्थिति से निपटा पैराग्राफ 15, 16 और 17 में, जिसमें इसे देखा गया है इस प्रकार है: —

"15. वाक्य के प्रश्न पर हमारे दिमाग को लागू करने से पहले, हम अनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत बिना शर्त माफी के प्रस्ताव का विज्ञापन करेंगे, जो 29 वें पर दायर किया गया था अक्टूबर, 1994. उसी के एक अनुमान से पता चलता है कि यह तब किया गया था जब प्रतिपादक ने एक छाप बनाई थी, -जब उनकी उपस्थिति में अदालत में मामला दर्ज किया गया था 24 अक्टूबर को (जिस तारीख को निर्णय भी हुआ था आरक्षित), कि हम उस दृष्टिकोण के थे जो उसके पास था गलत किया. हलफनामे में आगे कहा गया है कि यदि उसे दंडित किया जाएगा, उसका जीवन "बिखर जाएगा", हाल ही में उनकी तलाक की कार्यवाही पूरी होने के बाद वह एक नौकरी को सुरक्षित कर सकता था और

अपना "जीवन नया" शुरू कर दिया था, इस प्रकार, माफी की निविदा पश्चाताप का उत्पाद नहीं है

या विरोधाभास, जिसे इसे योग्यता के रूप में स्वीकार करना होगा एम। बी। में कहा गया है. संघी *बनाम* पंजाब का उच्च न्यायालय और & हरियाणा, 1991-3, एससीसी 600, जिस स्थिति में यह भी था बताया कि केवल एक माफी से बचाव के लिए कानून की कठोरता कोई माफी नहीं है. मेजर जनरल में बी.एम. Battacherjee *बनाम* रसेल एस्टेट कॉर्पोरेशन, 19932 एससीसी 533, एक "बिना शर्त माफी" जबकि कोशिश कर रहा है अधिनियम को उचित ठहराएं (समान ही यहां स्थिति है जैसा कि होगा के पैरा 5 में किए गए औसत से प्रकट होते हैं पूर्वोक्त शपथ पत्र) स्वीकार नहीं किया गया था. हाल ही में, के ए में मोहम्मद अली *बनाम* परसनम, जेटी पर। 1994-6, एससी 584, एक माफी मांगी गई माफी से इनकार कर दिया गया था.

16. अगर दावेदार ने वास्तविक विरोधाभास और खेद दिखाया किए गए कृत्य के लिए, हमने शायद उसे स्वीकार कर लिया होगा माफी; लेकिन जैसा कि इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है अपराधबोध से शुद्ध होने के लिए रक्षा, जो ठीक है दावेदार ने बचने की इच्छा के अनुसार करने की मांग की है शब्द दुख जो अगर सजा सुनाई जाती है, तो हम उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करें और प्रश्न का निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ें वाक्य. यह पहली बार देखा जाए कि क्या जुर्माना की सजा है न्याय के सिरों को पूरा करेगा. हमारे विचार में, ऐसा ए वाक्य के बड़े कारण के लिए conduciVe नहीं होगा अदालत के पोर्टल्स में शुद्धता का रखरखाव जैसे कि तिरछा मकसद वाला एक मनगढ़ंत दस्तावेज हो सकता है शीर्ष न्यायालय में दायर, उसी के लिए एक गंभीर दृष्टिकोण है अदालतों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए लिया जाना नीचे. इसके अलावा, लेने की बढ़ती प्रवृत्ति एक अनुकूल पाने के लिए आपत्तिजनक साधनों का सहारा लेना अदालतों में फैसले को बड़ी संख्या में व्यक्तियों को अदालतों से आने से रोकने के लिए गंभीरता से देखा जाना चाहिए ऐसा कर रहा है. इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, जिसके लिए कुछ हद तक निवारक वाक्य की आवश्यकता होती है.

"17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम दो को सजा देते हैं दावेदार को सप्ताह की कैद, हम वास्तव में अव्यवस्था की लंबी अवधि से

सम्मानित करेंगे क्योंकि के संक्रामक अधिनियम-निर्माण की गंभीरता एक विरोधी के कारण को हराने के लिए दस्तावेज़ और जिससे अदालत की शुद्धता पर गंभीरता से असर पड़ा

आगे बढ़ना-लेकिन हमने ऐसा करने से परहेज किया है मुक्त भारत में पहला अवसर है जब इस न्यायालय (उस मामले के लिए देश की कोई अदालत हो सकती है) ने महसूस किया है पीछे के दावेदार की तरह एक व्यक्ति को भेजने का आह्वान किया अवमानना क्षेत्राधिकार के अभ्यास में लोहे की पट्टियाँ. हमारे पास है कारावास की अवधि को दो सप्ताह तक सीमित रखा आशा है कि इस दावेदार का झुकाव आंख खोलने वाले के रूप में काम करेगा और कोई भी अदालत ऐसा महसूस नहीं करेगी विवश और किसी अन्य मामले में ऐसा करना. हमारे पास है अनियंत्रित पथ को संरक्षित रूप से ट्रेस किया गया, क्योंकि न्यायालय द्वारा अवमानना क्षेत्राधिकार की धारणा की आवश्यकता है ईर्ष्या और सावधान आंदोलन के रूप में पार्टी एक सारांश परीक्षण का सामना करता है और अभियोजक स्वयं कार्य करता है एक न्यायाधीश के रूप में "".

(४३) इसमें वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट हो गया है निर्णय के पहले भाग के लिए कि दावेदार के लिए डरावना संबंध है कानून का शासन. उसके पास आदेशों की पवित्रता के लिए भी कम संबंध है विभिन्न न्यायालयों में सक्षम अधिकारियों द्वारा पारित. उसके पास है अपीलीय प्राधिकरण और संशोधन द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना की प्राधिकरण ने उसे इतने बड़े गबन के लिए जिम्मेदार ठहराया सहकारी के गरीब सदस्यों से संबंधित राशि समाज. उसने खुद को एक अंतरिम राहत दी है जो नहीं थी इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दी गई. पहले अधिकार जिसे प्रक्षेपित आदेश का निर्माण किया गया था, वह बोना पर किया गया था *fide* विश्वास है कि इस के एक डिवीजन बेंच द्वारा आदेश पारित किया गया था कोर्ट. प्राधिकरण ने इस न्यायालय के आदेश का पूरी तरह से पालन किया और दावेदार के निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया. सकल होने के बाद. न्यायालय की अवमानना, दावेदार अपने आचरण के साथ कायम है इस न्यायालय को गुमराह करें. यहां तक कि शो के जवाब में उनके कारण नोटिस, ए स्पष्ट दलील दी जाती है कि आदेश उसके द्वारा प्रक्षेपित नहीं किया गया था. पर उसी समय, उन्होंने 10 वीं पर डिविज़न बेंच के सामने विवाद नहीं किया जनवरी, 2000 कि आदेश उसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था. ऐसा निंदनीय आचरण को बहाना नहीं बनाया जा सकता. इसके द्वारा दर्शाई गई कोई भी उदारता न्यायालय बनाए रखने के कारण को और अधिक नुकसान पहुंचाएगा किसी भी बोधगम्य लाभ की तुलना में न्याय प्रशासन की शुद्धता के लिए जमा हो सकता है दावेदार. इसके अलावा, माफी की प्रवृत्ति थी द्वारा सर्वोच्च द्वारा निर्धारित मानदंडों में से कोई

भी संतुष्ट नहीं करता है माफी की स्वीकृति के लिए न्यायालय. माफी नहीं आई है कार्यवाही का जल्द से जल्द संभव चरण. यह बिना शर्त नहीं है. यह

सजा से बचने का सिर्फ एक बहाना है. किसी भी स्तर पर, दावेदार नहीं अपने निंदनीय व्यवहार पर कोई पश्चाताप व्यक्त किया है. में भी हलफनामा, प्रार्थना यह है कि माफी स्वीकार की जाए और अवमानना अवमानना से छूट दी जाए. के दौरान सुनवाई, दावेदार के लिए सीखा वकील की पेशकश की केवल 'तर्क के अंत में माफी. ऐसी स्थिति, हम संतुष्ट हैं कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां दावेदार बच सकते हैं बिना शर्त माफी देकर सजा.

(44)उपरोक्त के मद्देनजर, माफी द्वारा निविदा दी गई दावेदार को खारिज कर दिया जाता है.

(45)इस स्तर पर, हमें आर में निर्णय को नोटिस करना चाहिए. दयानंद सागर का मामला *(Supra),* के लिए सीखा वकील द्वारा उद्धृत न्याय के प्रशासन के प्रस्ताव के समर्थन में दावेदार दया के साथ संयमित होना चाहिए. पूर्वोक्त निर्णय द्वारा दिया गया था एक समीक्षा याचिका में सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने रखी भूमि के अंतिम न्यायालय का निर्णय अंतिम है. इस तरह के निर्णय की समीक्षा एक असाधारण घटना है, जहां केवल अनुमति दी जाती है अन्य अच्छी तरह से स्थापित जमीन की गंभीर और चमकदार त्रुटि की जाती है बाहर. सी। एम। का निपटान करते हुए. 1975 का नंबर 2095, सुप्रीम कोर्ट निर्णय में कुछ अवलोकन किए थे. यह श्री द्वारा तर्क दिया गया था. सेन ने कहा कि टिप्पणी जो उनके ग्राहक को एक अनिर्धारित के रूप में ब्रांडेड थी जालसाजी और शुद्धि को खत्म करने का आपराधिक-दोषी अनमना था. ए प्रार्थना की गई थी कि इन टिप्पणियों को तिरस्कृत किया जाए. सर्वोच्च कोर्ट सबमिशन के लिए सहमत नहीं था. यह स्वीकार किया गया कि सख्ती किसी भी तरह से निर्णय के लिए अभिन्न नहीं थी, हालांकि प्रासंगिक यदि सभी दृश्य पर ले लिया जाता है. तर्क के दौरान. श्री सेन ने यह भी तर्क दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचने में गुमराह किया गया था निष्कर्ष निकाला गया. यह इस संदर्भ में था कि कृष्ण अय्यर. जे. निम्नानुसार देखा गया: —

> "श्री सेन ने कहा कि हम तक पहुँचने में गुमराह थे निष्कर्ष निकाला गया. हो सकता है, हम थे, जज लर्न हाथ ने एक बार कहा था कि स्वतंत्रता की भावना "आत्मा है जो यह भी निश्चित नहीं है कि यह सही है ", वह महान न्यायाधीश "क्रॉमवेल के बयान को याद करते हुए पाया गया:" मैं beseech तुम मसीह के आंत्रों में सोचते हो कि तुम हो सकते हो गलत". उन्होंने एक सीनेट समिति से कहा, "मुझे पसंद करना चाहिए हर चर्च के पोर्टलों पर लिखा है,

हर स्कूल और हर कोर्ट-हाउस और मैं कह सकता हूं संयुक्त राज्य अमेरिका में हर विधायी निकाय. मुझे हर अदालत को शुरू करना चाहिए, "मैं तुम्हें अंदर ले जाता हूं मसीह के आंत्र, सोचते हैं कि हम गलत हो सकते हैं "". (Yale लॉ जर्नल: वॉल्यूम. 71: 1961 नवंबर भाग).

एक मायने में, यह त्रुटि की संभावना है जिसने यीशु को राजी किया मसीह को सावधानी बरतने के लिए: "न्यायाधीश नहीं, कि तुम न्याय न करो". सत्य की हमारी खोज कभी-कभी एक अंधे गली तक पहुँच जाती है बेकन द्वारा व्यक्त: 'सच्चाई क्या है ?" कहा jesting पीलातुस: और जवाब के लिए नहीं रहेगा "".

महान कथनों के इस संबंध में, हम होने के लिए इच्छुक हैं आत्मा में विनम्र और कठोरता को शांत करने के लिए स्वतंत्र कुछ हद तक लक्षण वर्णन. हम संतुष्ट होंगे यह कहकर कि हमारे सामने रखी गई सामग्री अपील में, के निष्कर्ष के प्रकाश में पढ़ें उच्च न्यायालय, अच्छी तरह से अनुमान का नेतृत्व कर सकता है और उचित ठहरा सकता है हमारे द्वारा किए गए अवलोकन, हालांकि यह नहीं हो सकता है खारिज कर दिया कि एक अधिक निर्दोष अनुमान उत्तेजक याचिकाकर्ता के लिए कोई भी भूमिका संभव है. इस प्रकार, अब तक हम कठोरता को संशोधित करें, लेकिन रद्द करने के लिए गिरावट, जैसा कि निवेदन किया गया है याचिकाकर्ता. बुद्धि के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है किसी स्थिति की रुकावट और एक धर्मार्थ निर्माण को बाहर नहीं किया जा सकता है. यही कारण है कि हमने कमजोर पड़ने के लिए सहमति दी है "".

(४६) जैसा कि पहले देखा गया है, हमने पूरा अवसर दिया है अपने मामले की पैरवी करने के लिए दावेदार. हमें पिलातुस के बिना नहीं छोड़ा गया है जवाब का इंतजार है. बल्कि हमने खुद को वहां संतुष्ट किया है यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है कि दावेदार के पास है 9 जनवरी, 1998 और उस क्रम में प्रक्षेप किए गए उन्होंने प्रक्षेप का लाभ उठाया. हम भी इसके प्रति सचेत हैं तथ्य यह है कि अधिकार के बिना किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित करना कानून का उल्लंघन होने के कारण सीधे तौर पर मारा जाएगा के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार निहित हैं भारत. द poWers के Ariticle 215 के तहत उच्च न्यायालय के भारत के संविधान का सारांश प्रकृति का उपयोग किया जाना है देखभाल और सावधानी के साथ. हम सिद्धांत

से भी अवगत हैं सलाखों के पीछे किसी व्यक्ति का उत्पीड़न एक सजा होगी अंतिम उपाय. पूर्वोक्त कारणों से, हमने बहुत सतर्क अपनाया है

ऊपर दर्ज किए गए निष्कर्षों को देने से पहले दृष्टिकोण. Jurisprudentially, यह एक अच्छी तरह से स्वीकार किया गया सिद्धांत है कि वाक्य को कम किया जाना चाहिए अपराध / गलत आचरण के गुरुत्वाकर्षण के लिए. यह सिद्धांत अपने व्यावहारिक में है के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा काम का प्रदर्शन किया गया था ***शंकर दास*** बनाम ***भारत संघ और दूसरा, (13).***

(४ () उस मामले में, एक क्लर्क पर मुकदमा चलाने के लिए मुकदमा चलाया गया था रुपये का अस्थायी गबन. 500. उस पर मुकदमा चलाया गया और पाया गया अस्थायी गबन का दोषी. मजिस्ट्रेट ने हालांकि, जारी किया उसे परिवीक्षा पर. कर्मचारी की रिहाई को पचाने में सक्षम नहीं होना परिवीक्षा पर, विभाग ने उसे अनुच्छेद के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया आचरण के आधार पर भारत के संविधान का 311 (2) दृढ़ विश्वास के लिए. कर्मचारी ने 1966 में कोर्ट ऑफ सिविल में मुकदमा दायर किया सब जज फर्स्ट क्लास, दिल्ली, से अपनी बर्खास्तगी को अलग करने के लिए सेवा, मुख्य रूप से इस आधार पर कि जब से वह जारी किया गया था अपराधियों के अधिनियम की जांच, यह अधिकारियों के लिए स्वीकार्य नहीं था सेवा से बर्खास्तगी के दंड के साथ उसे यात्रा करने के लिए. सिविल सूट बर्खास्त कर दिया गया था. ट्रायल कोर्ट के फरमान की पुष्टि की गई अतिरिक्त वरिष्ठ उप न्यायाधीश, दिल्ली, जनवरी, 1968 में. उसने दूसरा दायर किया दिल्ली के उच्च न्यायालय में अपील जिसे सीखा गया था 13 अप्रैल, 1971 को एकल न्यायाधीश. भारत सरकार ने दायर किया पत्र उस फैसले के खिलाफ अपील करता है जिसे अनुमति दी गई थी 10 अक्टूबर, 1972 को एक डिवीजन बेंच. कर्मचारी ने सिविल अपील नं. सुप्रीम कोर्ट में 1973 का 480 (एन). यह है कि कैसे मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था. अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कर्मचारी को रखा गया था, सी.जे.आई., Y.V. चंद्रचूड ने इस प्रकार बात की: —

> "सीखा मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दिल्ली. श्री अम्बा प्रकाश, साधारण से अधिक के साथ उपहार में दिया गया था कानून की समझ. वास्तव में, उन्होंने एक उदाहरण दिया अनुकरण का. कुल रुपये में से. 1,607.99 जो अपीलकर्ता को कैश क्लर्क के रूप में सौंपा गया था, वह रुपये जमा किए. केवल केंद्रीय नकद अनुभाग में 1,107.99 दिल्ली मिल्क स्कीम की. निस्संदेह, वह दोषी था विश्वास के आपराधिक उल्लंघन और सीखा मजिस्ट्रेट के पास उस अपराध के लिए उसे दोषी ठहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं

था. परंतु यह प्रशंसा की जानी चाहिए कि 1963 में जब तक वापस दंड प्रक्रिया संहिता की एस। 235 पर नहीं था

क़ानून पुस्तक और बाद में सजा के मानदंडों में परिशोधन भ्रूण में भी नहीं थे सीखा मजिस्ट्रेट ने करीब और चिंतित ध्यान दिया वाक्य जो मामले की परिस्थितियों में हो सकता है अपीलकर्ता पर पारित किया जाए. वह अपने फैसले में कहता है; अपीलकर्ता प्रतिकूल परिस्थितियों का शिकार था ; फरवरी, 1962 में उनके बेटे की मृत्यु हो गई, जिसके बाद एक और दुर्भाग्य; उसकी पत्नी एक ऊपरी से नीचे गिर गई मंजिला और गंभीर रूप से घायल हो गया था; यह तब मोड़ था उनकी बेटी जो गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और वह बीमारी आठ महीने तक चला. सीखा मजिस्ट्रेट इस प्रकार उनका निर्णय समाप्त हुआ: —

"“दुर्भाग्य ने आरोपी को लगभग एक साल के लिए चकमा दिया तथा ऐसा लगता है कि यह प्रतिकूल के बल पर था परिस्थितियों कि वह सवाल में पैसा वापस आयोजित किया. शंकर दास एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति हैं और यह स्पष्ट है यह परिस्थितियों के लिए मजबूर था कि वह समय में प्रश्न में पैसा जमा नहीं कर सका. वह है पिछला अपराधी नहीं. के संबंध में मामले की परिस्थितियाँ, मेरी राय है कि वह अपराधियों की जांच के तहत निपटा जाना चाहिए अधिनियम, 1958 ”".

यह विलाप किया जाना है कि इन टिप्पणियों के बावजूद सीखा मजिस्ट्रेट सरकार को खारिज करने के लिए चुना अपने मन को लागू किए बिना एक आवेश में अपीलकर्ता जुर्माना जो उचित रूप से लगाया जा सकता है जहां तक उनके सेवा करियर का सवाल था, तब तक वह उनके साथ थे. के अनुच्छेद 311 (2) के लिए दूसरे प्रोविज़ो का खंड (ए) संविधान सरकार को शक्ति प्रदान करता है आचरण के आधार पर किसी व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त करें जिसके कारण आपराधिक आरोप में उसकी सजा हुई है ”". लेकिन हर दूसरी शक्ति की तरह उस शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है निष्पक्ष, न्यायसंगत और यथोचित. निश्चित रूप से, संविधान उस सरकारी सेवक पर चिंतन नहीं करता है एक नो-पार्किंग क्षेत्र में अपने स्कूटर को पार्क करने के लिए दोषी ठहराया गया है सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए. वह शायद नहीं के बाद से दंड के सवाल पर सुनवाई के हकदार हो सीएल। (ए) कला के लिए दूसरे प्रोविज़ो का। 311 (2) बनाता है

> जुर्माना होने पर उस लेख के प्रावधान अनुचित हैं पर एक सरकारी नौकर पर लगाया जाना है आचरण का आधार जिसके कारण उनकी सजा हुई है एक आपराधिक आरोप. लेकिन जुर्माना लगाने का अधिकार इसके साथ कार्य करने का कर्तव्य उचित है. पर विचार इस मामले के तथ्य, कोई दो राय नहीं हो सकती है कि सेवा से बर्खास्तगी का जुर्माना अपीलकर्ता सनकी है "".

(48)हमने पूर्वोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखा है सजा के सवाल पर विचार करने वाले पर लगाया जाएगा. हम चंद्र शशि मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के प्रति भी सचेत हैं *(Supra)*. जैसा कि ऊपर देखा गया है, उस में दावेदार मामले ने सजा के शमन में एक मजबूत दलील दी थी. विचार करने के बाद उस मामले के अजीब तथ्य और परिस्थितियां, सुप्रीम कोर्ट इस दलील को खारिज कर दिया कि जुर्माना लगाने से दावेदार को दंडित किया जाएगा केवल. यह आगे देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने किया होगा लंबे समय तक अव्यवस्था से सम्मानित किया गया, लेकिन एक उदार दृष्टिकोण था जैसा कि मुक्त भारत में शायद यह पहला अवसर था सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को दावेदार की तरह भेजने का आह्वान किया था अवमानना क्षेत्राधिकार के अभ्यास में सलाखों के पीछे. वर्तमान मामले में, इस न्यायालय को मनाने के लिए किसी भी परिस्थिति को रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है न्यायालय द्वारा एक उदार दृष्टिकोण क्यों लिया जा सकता है. वास्तव में, जैसा कि देखा गया है इससे पहले, यहां तक कि माफी भी आधा दिल से बनाई गई है और वह भी तर्कों के समापन पर.

(49)उपरोक्त के मद्देनजर, दावेदार को सजा सुनाई जाती है एक महीने के कठोर कारावास से गुजरना और रुपये का जुर्माना देना. 2,000. जुर्माने के भुगतान के डिफ़ॉल्ट में, दावेदार आगे होगा एक महीने के कठोर कारावास से गुजरना. सू *Motu* अवमानना याचिका तदनुसार आदेशित है.

आदेश का आदेश

(50)वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अंबाला को निर्देशित किया जाता है दावेदार को गिरफ्तार करने और उसे सेंट्रल जेल, अंबाला में कैद करने के लिए, एक महीने के कठोर कारावास की सजा से गुजरना इस याचिका में दी गई सजा के लिए.

बिनोद कुमार रॉय, सी.जे.

(४ ९) मैं सहमत हूं.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता महाजन
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कैथल, हरियाणा